दिसम्बर 1984

कुरुक्षेत्र

मूल्य: 1.50 रु०

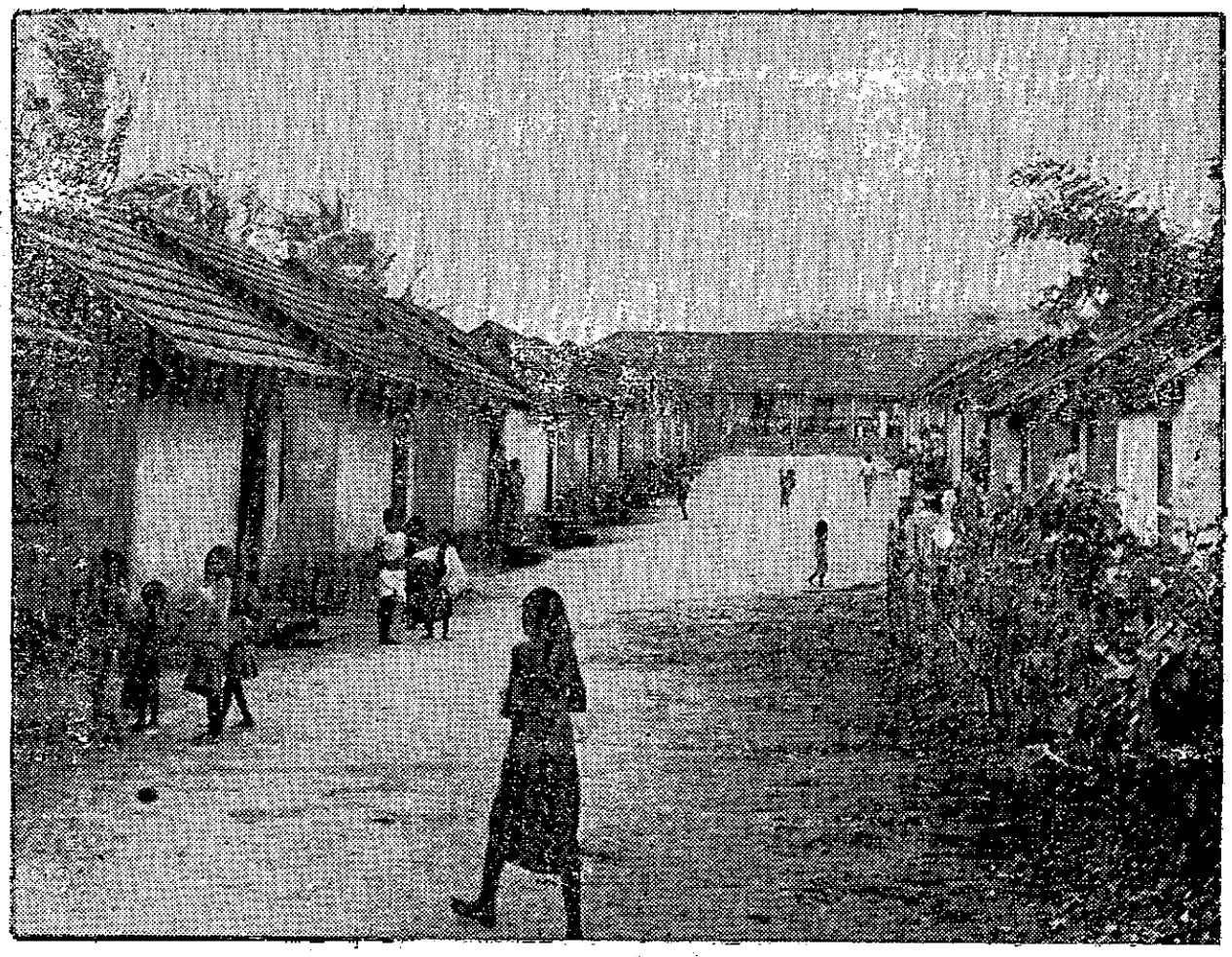

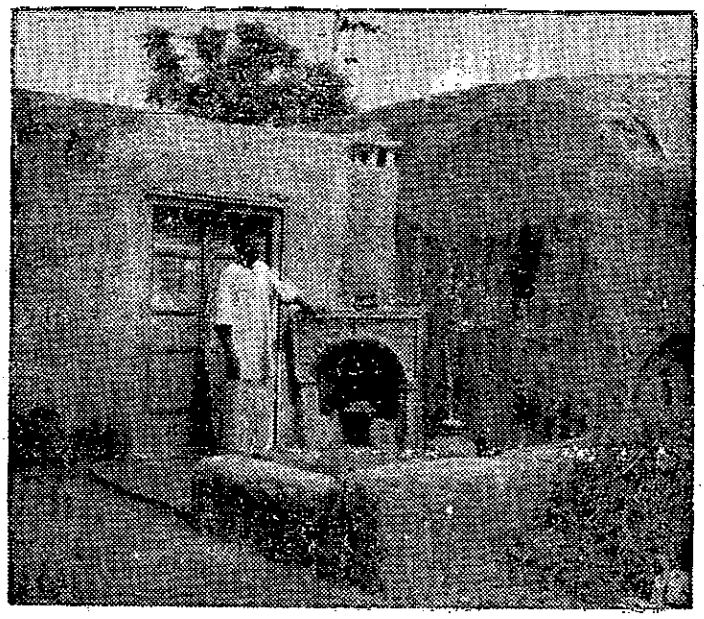

संपादकीय

सच्ची श्रद्धांजलि

ग्रामीण भारत का एक प्रमुख दायित्व देश के लिए प्रचुर अन्न तथा कृषि जन्य कच्चा माल पैदा करना है। 1964–65 में देश ने मात्र सात करोड़ 53 लाख टन अनाज उपजाया। 1966 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं, देश के दो-तीन राज्यों को छोड़ लगभग सारा देश अकाल की चपेट में था। उनकी सुघड़ नीतियों के परिणामस्वरूप कमोबेश अनाज उत्पादन निरन्तर बढ़ता गया और 1983–84 वर्ष में देश साढ़े 15 करोड़ टन अनाज पैदा कर सका तथा उत्पादन को और बढ़ाने के लिए आशावान है। श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियां छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभकारी रहीं। सिंचाई सुविधाओं और उर्वरकों तथा बिजली की उपलब्धता ही नहीं बढ़ाई गई, किसानों को बुआई से पूर्व कृषि आगतों के लिए धन वितरण का लगातार ध्यान रखा गया। हाल की रबी बुआई के लिए केवल 19 राज्यों में किसानों को इस उद्देश्य के लिए एक अरब 44 करोड़ रुपये वितरित किए जा रहे हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी को गरीबी व असहायता से ग्रामीण लोगों को उबारने में खास दिलचस्पी थी। विशेष लगन थी। उनके उत्थान में उन्हें शक्ति व गौरवशाली भारत के दर्शन होते थे। बेल्ची के 13 असहाय जिन्दे जला दिए गए थे, उस समय वे प्रधानमंत्री भी नहीं थीं, लेकिन वे वहां लोगों का ढाढ़स बंधाने गईं और हर सम्भव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जबकि, उस गांव के चारों ओर दूर-दूर तक भूमि जल-मग्न थी और उन्हें हाथी की सवारी से वहां जाना पड़ा था।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में ग्राम विकास कार्यक्रम की रचना जो स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वर्गीय पिता श्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का समारम्भ कर तथा उसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देकर श्रीमती गांधी ने पूरा किया। जिसके तहत करोड़ों ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। उन्हें रोजगार व स्व-रोजगार प्राप्त हुआ। योजनागत आर्थिक विकास के साथ-साथ 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम देकर तो उन्होंने समग्र भारतीय विकास को आन्दोलित कर दिया। 20 सूत्रों में भी उनका गांवों के प्रति विशेष प्रेम परिलक्षित है। 20 में से 8 सूत्र सीधे गांव से सम्बद्ध हैं और 9 सूत्र गांवों से भी और शहरों से भी सम्बद्ध हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिला कर कई करोड़ लोगों को गरीबी से उबारना श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों के कार्यान्वयन से ही सम्भव हुआ। शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी श्रीमती गांधी की नीतियां वरदान सिद्ध हुईं। बैंक सहायता व सरकारी उपदान के बल पर गांवों और शहरों में करोड़ों लघु उद्योग चालू हुए हैं जिन्होंने इनके उद्यमियों की संख्या के कई गुना लोगों को रोजगार उपलब्ध किया। उन्होंने लाखों भूमिहीनों को भूमि और उसमें खेती करने के लिए धन मुहैया कराया। लाखों आवासहीनों को भूमि और आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दिलवाई। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों के लाभ के लिए गांवों की सड़कों, विपणन व्यवस्था, मंडियों और गोदामों के निर्माण को खास अहमियत दी गई। ये सब कार्यक्रम बैंक राष्ट्रीयकरण से सम्भव हो सके। 1969 में जब अमरीका का राकेट चांद पर जाने के लिए दागा गया था तभी भारत की आत्मा श्रीमती गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ मानो भारतीय विकास का एक और शक्तिशाली राकेट चालू कर दिया था। उपग्रह दूरदर्शन के द्वारा आज सारे ग्रामीण भारत को कृषि, मौसम और विकास सम्बन्धी विविध जानकारी के साथ-साथ समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना भी दी जा रही है। गांवों का अंधकार

(शेष आवरण पृष्ठ 3 पर)

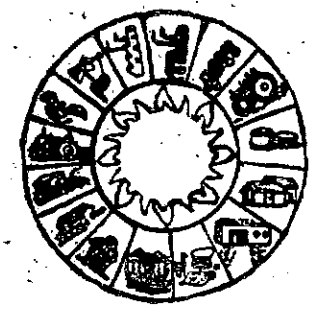

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 30 अग्रहायण–पौष 1906 अंक 2

इस अंक में, पृष्ठ संख्या

निर्बल का संबल : बीस सूत्री कार्यक्रम 2
प्रभात कुमार सिंघल

बढ़ती आबादी की मंजिल–बरबादी 6
ब्रजलाल उनियाल

राजस्थान के आदिवासी बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर 8
अशोक कुमार यादव

आर्थिक जोत बनाम चकबन्दी 10
विनोद गुप्ता

मानवता की ज्योति जगाओ (कविता) 13
महाराज

कर्ज का अहसास कृतज्ञता में बदल गया 14
हर्षवर्धन पाठक

रंगाई-छपाई का गांव-आकोला 16
नटवर त्रिपाठी

मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में अग्रणी 18
सुनील चतुर्वेदी

अखाद्य तेल उद्योग और नीम 20
श्रीकांत पाण्डेय

शूकर पालन को उद्योग स्वरूप अपनाएं यह एक उपयोगी व्यवसाय है 22
श्रीमती साधना गर्ग

ग्रामीण आवास : प्रबंध एवं विधि 24
सुरेश जैन

आंखों की उचित देखभाल 30
आभा जैन

बायो गैस संयंत्र का चमत्कार 32
एम० के० शर्मा

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी); ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

निर्बल का संबल:

बीस सूत्री कार्यक्रम

प्रभात कुमार सिंघल

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्पष्ट विचारधारा थी कि जब तक देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक दृष्टि से ऊपर नहीं उठाया जाएगा और परम्परा से चले आ रहे अंधविश्वासों, जातिगत भेद-भावों एवं सामाजिक कुरीतियों से मुक्त नहीं किया जाएगा हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र कहलाने के हकदार नहीं होंगे।

अपने इन्हीं विचारों को श्रीमती गांधी ने देश के विकास के लिए लागू महत्वपूर्ण बीस-सूत्री कार्यक्रम में विशेष रूप से स्थान दिया। इस कार्यक्रम के तहत पिछड़े को पहले, भूमिहीन को भूमि, कृषि मजदूरी पूरी-पूरी, बंधक मुक्ति, हरिजन-गरीबजन विकास, गरीबों को छप्पर, छोटा परिवार आदि नारे देखने को मिले हैं।

राजस्थान में 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 342.62 लाख में से 17.04 प्रतिशत अर्थात 58.59 लाख व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति अधिकांश चर्म उद्योग, बुनाई, कृषि एवं कृषि मजदूरी तथा अन्य कम आय वाले पारम्परिक व्यवसायों पर निर्भर हैं। मैला ढोने का कार्य तथा सफाई का कार्य पूरी तरह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। शहर में रहने वाले इस वर्ग के व्यक्ति ठेला खींचने, रिक्शा चलाने, बैल गाड़ियां चलाने तथा हड्डियों से व्यवसाय करते हैं। इनमें कम पढ़े-लिखे होने से इनको सरकारी नौकरियों में लेने में भी असुविधा रहती है। अनुमान है कि राज्य में अनुसूचित जातियों के 11 लाख परिवार हैं जिनमें से 10 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

राज्य में निर्बल वर्ग के इन लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए, उनका शैक्षणिक विकास करने तथा उनमें सामाजिक चेतना जागृत करने के गत तीन वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उनके फलस्वरूप लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ है।

आर्थिक उत्थान

राज्य सरकार ने अपने बजट में से एक निश्चित राशि केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण हेतु निर्धारित की जिससे इनको पारिवारिक आर्थिक समृद्धि, भूमि सुधार, ऋण सुविधाएं, ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन एवं विपणन सुविधाएं, रोजगार के अवसर तथा शिक्षा, पेयजल, बिजली की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विशिष्ट संघटक योजना के माध्यम से केवल इस वर्ग पर 227.36 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित किया गया।

योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में 29.55 करोड़ रुपये व्यय किए गए। बाद के वर्षों में वर्ष 1981-82 में 37.38 करोड़ रु०, वर्ष 1982-83 में 40.12 करोड़ रु०, वर्ष 1983-84 में 42.12 करोड़ रु० व्यय किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 1984-85 में 48.54 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का विकास करने में कोई रुकावट न आए अतः केन्द्रीय सहायता के रूप में राजस्थान को वर्ष 1980-81 में 528.00 लाख रु०, वर्ष 1981-82 में 503.79 लाख, वर्ष 1982-83 में 634.98 लाख तथा वर्ष 1983-84 में 744.21 लाख रुपये प्राप्त हुए।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड

अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान को तीव्र गति प्रदान करने के लिए मार्च 1980 में इस निगम की स्थापना की गई। निगम द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से वर्ष 1980-81 में 52,844, वर्ष 1981-82 में 93,238, वर्ष 1982-83 में 1,37,023 एवं वर्ष 1983-84 में 1,25,704 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1984-85 में 1,12,000 परिवारों के लक्ष्य में से मई 1984 तक 5,245 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घ-कालीन ऋण हेतु हिस्सा राशि पर उपलब्ध ऋण एवं व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण दिलाया गया।

एकीकृत ग्रामीण योजना के साथ समन्वय करके निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को 50 प्रतिशत तक की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराता है। यह राशि छोटे एवं सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन मजदूरों को देय है। वर्ष 1982-83 में 22,787 अनुसूचित जाति के अतिरिक्त परिवारों को सम्पूर्ण 50 प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1983-84 में 61,118 परिवारों को 450 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। चालू वर्ष 1984-85 में अब तक दो लाख से ज्यादा परिवारों को 1,548.00 लाख रु० का अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है।

शहरी क्षेत्रों में लघु/कुटीर उद्योग-धंधों, व्यवसायों, पशुपालन आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1983-84 में 9072 व्यक्तियों को 78.30 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। अब तक 13,747 व्यक्तियों को चालू वित्तीय वर्ष में 110.56 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

राज्य में 300 शहरी अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आटो-रिक्शा उपलब्ध कराने की कल्याणकारी योजना प्रारम्भ की गई है। अब तक 41 व्यक्तियों को आटो-रिक्शा उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्रामीण व सहकारी समितियों के हिस्से क्रय करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति के 261 व्यक्तियों को वर्ष 1983-84 में 0.34 लाख रु० की राशि तथा अब तक 43925 व्यक्तियों को 22.13 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई। इन व्यक्तियों को 4 करोड़ 45 लाख रुपये का अनुमानित अल्प-अवधि ऋण बैंकों से उपलब्ध कराया गया। बिजली कनेक्शन अनुदान के तहत 357 व्यक्तियों को 3.40 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वृक्ष विकास योजना के तहत वर्ष 1982-83 में 1,472 परिवारों को 72 हजार 444 पेड़ लगाने एवं रख-रखाव हेतु 4.38 लाख रुपये अनुदान स्वरूप दिए गए। बायो गैस संयंत्र लगवाने के तहत 107 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 0.10 लाख रुपये व्यय कर संयंत्र उपलब्ध कराए गए। आर्थिक विकास के तहत दुकानें उपलब्ध कराने की योजना पर 106.25 लाख रु० व्यय कर 400 दुकानें निर्मित की जा चुकी हैं। हाथकरघा प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा उपलब्ध कराने के तहत 7 केन्द्रों में से 5 भीलवाड़ा, मथानिया, जयपुर, बयाना एवं अमरसर में खोले जा चुके हैं। 75 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा 120 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 16.95 लाख रु० की लागत से चर्म व्यवसाय में लगे अनुसूचित परिवारों के लिए माणपुर-मनेड़ी में एक केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है। कुएं गहरा कराने, सहकारी समितियों की स्थापना, राजस्थान ग्रामीण औद्योगिक विपणन संस्थाओं की स्थापना, मछली पकड़ने सम्बन्धी उपकरण वितरण करना, बुनकरों को शेड उपलब्ध कराने एवं कृषि सम्बन्धी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई हैं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने व कच्चा माल उपलब्ध कराने पर अब तक 7084 व्यक्तियों पर 44.83 लाख रुपये व्यय किए गए। शार्टहैंड एवं टाइपिंग का प्रशिक्षण भी निगम दिलाता है। राज्य के 9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1,026 अनुसूचित छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 279 छात्रों के प्रशिक्षण पर 14.32 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। जयपुर में फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण संस्थान में इनको होटल रिसेप्शन, बेकरी, कुकरी आदि का प्रशिक्षण राज्य में 18 स्थानों पर, अ०सू० महिलाओं को डेढ़ से दो वर्ष अवधि का नर्स का प्रशिक्षण एवं एस०टी०सी० प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के 419 व्यक्तियों के बी०एड० प्रशिक्षण पर अब तक 19.15 लाख रु० की धन राशि व्यय की गई। 600 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 73 नर्सों के प्रशिक्षण पर 1.25 लाख रुपये व्यय किए गए तथा 51 नर्सें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 714 अनुसूचित व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर 2.49 लाख रु० व्यय किए गए। इस समय 223 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के पंजीकृत वकीलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्राइविंग प्रशिक्षण भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत अन्य प्रशिक्षण योजनाएं यथा पुस्तकालय विज्ञान, पंच-आपरेटर, कम्प्यूटर, टेलीफोन आपरेटर, सेनेटरी इंस्पेक्टर आदि भी विचाराधीन हैं।

नवीन योजनाओं के तहत ईंट भट्टा योजना, जनता सिनेमा योजना, धागा बैंक की स्थापना, छात्रावास सुविधा, कृषि भूमि का आवंटन, आवासीय भू-खंडों का आवंटन, भवन निर्माण ऋण के ब्याज का पुनर्भरण, आवासीय सुविधाएं, वस्ती कार्यक्रम अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ लागू की गईं। इनसे अभी तक लगभग एक लाख से अधिक अनुसूचित परिवारों को 4,85,000 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन, 99,743 परिवारों को 150 वर्ग गज आवासीय भू खंड, 14,486 परिवारों को भवन निर्माण ऋण के ब्याज के पुनर्भरण हेतु 63.41 लाख रुपये, 1070 व्यक्तियों को आवासीय सुविधा हेतु 6.82 लाख रु० उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया गया। आवासन मंडल द्वारा इस वर्ग को अब तक 3354 मकानों का भी आवंटन किया गया। इस समय राज्य में कुल 13,200 हरिजन वस्तियों में पीने के पानी की सुविधा एवं 6,828 हरिजन वस्तियों में बिजली की सुविधा है।

शैक्षणिक विकास

अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी सामान्य, इंजीनियरिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बी०एड, एस०टी०सी० आदि कालेजों में 12 से 16 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण है। छात्रावास योजना में भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षण शुल्क एवं पुस्तकें आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1983-84 में 91 राजकीय छात्रावासों से 4600 छात्र छात्राएं 51 अनुदानित छात्रावासों से 1855, भंगी कष्ट मुक्ति 40 से 870 एवं एक आश्रम स्कूल से 40 छात्र-छात्राएं, कुल मिलाकर 183 छात्रावासों से 7365 छात्र-छात्राएं सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 1981-82 में भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अधीन अस्वच्छ कार्यों में लगे परिवारों के छात्रों के लिए पृथक 40 हरिजन छात्रावास खोलने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से अब तक 36.73 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। कक्षा 6 से 11 तक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अब तक 3,68,160 छात्र-छात्राओं को 502.79 लाख रु०, विशेष छात्रवृत्ति 483 को 21.25 लाख रु० एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 44105 को 385.41 लाख रुपये उपलब्ध कराई गई। बुक बैंक योजना में 1,842 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने पर अब तक 6.40 लाख रुपये तथा विश्वविद्यालय के सहयोग से जयपुर में संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र से प्रति वर्ष 40 छात्रों को सुविधा देने पर विगत तीन वर्षों में 5.34 लाख रुपये व्यय किए गए। अनुसूचित स्नातक को 150 रु० तथा स्नात्तकोत्तर को 250 रुपये प्रति-माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। विगत तीन वर्षों में 183 स्नातकों एवं 195 स्नातकोत्तर को मासिक वृत्तिका दी गई। राजकीय सेवाओं में विशेष आरक्षण के तहत 200 महिलाओं एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न राजकीय सेवाओं में पिछले तीन वर्षों में 1532 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सामाजिक चेतना

सामाजिक चेतना जगाने के लिए सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। अस्पृश्यता अपराध नियम को राज्य में कड़ाई से लागू किया गया है। इस प्रकार के मामलों का मौके पर निपटारा किया जाता है। स्वयं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। छूआछूत उन्मूलन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर सवर्णों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने गृह विभाग के अन्तर्गत एक हरिजन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए अलवर नागौर और कोटा में विशेष न्यायालय कायम किए गए हैं। मौके पर ही इन मामलों का निपटारा करने हेतु वर्ष 1983-84 में अलवर, राजगढ़, बोरा और अटरू व कोटा में पांच चल न्यायालय कायम किए गए हैं। अन्तर्जातीय विवाह कराने के भी प्रयास किए जाते हैं। अब तक दो विवाह कराने पर 10 हजार रु० की सहायता दी गई। अत्याचारों से पीड़ितों की पिछले दो वर्षों में 6.18 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

मेहतर अथवा भंगी नाम से पुकारे जाने वाले अनुसूचित जातियों के लोग सदियों से अस्वच्छ कार्यों में लगे हैं। परंपरा से मनुष्य का मैला सर पर ढोने का कार्य ये करते रहे हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के तहत सूखे तहारतों को फ्लश में बदलवाने के लिए 300 रु० अनुदान राशि की व्यवस्था शहरी नगर-पालिकाओं द्वारा की गई। 1982–84 तक 3669 तहारतों को अनुदान से फ्लश में बदला गया तथा 7168 फ्लश तहारतों का बिना अनुदान के निर्माण हुआ।

अनुसूजित जाति के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को पूरक पोषाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रोग निरोधक टीके, पूर्व प्राथमिक शिक्षा आदि सेवाएं समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत उप-लब्ध कराई जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में 90 परियोजनाओं से 2,03,700 अनुसूचित महिलाओं एवं शिशुओं को लाभ मिला।

राजस्थान में निस्संदेह पिछड़े गरीब तबके के लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के भगीरथ प्रयास किए गए। स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी की मान्यता थी कि अधि-कांश बीमारियां गरीबी के कारण होती हैं। अपोषण से भी अनेक रोग होते हैं। हमारे देश में समस्या सिर्फ खाद्य पदार्थ की उपज बढ़ाना ही नहीं वरन् पोषक खाद्य पदार्थ की उपज बढ़ाना भी है। हमारी सरकार ने सबसे अधिक महत्व जरूरतमंद लोगों, विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए पोषक पदार्थ जुटाने के कार्यक्रमों को दिया है। यह जरूरी है कि बच्चा स्वस्थ रहे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो और बड़ा होने पर उपयुक्त रोजगार मिले। सरकार का प्रयास है कि वह हर बच्चे को अपनी शक्तियों का पूरा विकास करने के समान अवसर दिलाए।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सैंतीसवीं बैठक में 13 जुलाई 1984 को श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में कहा था, "हमने ग्रामीण क्षेत्रों को पहली प्राथमिकता दी है जो कुल मिला कर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार ला दिया जाए तो शहरी तंग बस्तियों की समस्याएं भी कम होंगी। शुरू से हमने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया है। मानवीय पक्ष के साथ-साथ वास्तव में हम इस बात से अवगत हैं कि यदि विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों, विभिन्न समुदायों, जन जातियों और जातियों की आय और रहन-सहन के बीच अन्तर दूर नहीं किए जाते हैं तो भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हो सकता। हमारे विशेष कार्यक्रमों का कुछ वर्गों और राज्यों के लिए यही औचित्य है। जिन्हें विरासत में उपेक्षाएं मिली हैं ऐसे अनुसूचित जातियों और जन जातियों वर्गों के लिए, जिनकी विशेष कठिनाइयां हैं, विशेष कार्य-क्रमों के पीछे भी यही औचित्य है।"

4 अप्रैल 1984 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्रीमती गांधी ने कहा था, "अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के कल्याण का कार्यक्रम हमारी योजना और बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य अंग है। उनकी सहायता करने में हमें पूरी तरह से समर्पित और हमदर्दी रखने वाले अधि-कारियों की जरूरत है। मुझे अफसोस है कि अभी भी हमारे अन्दर ऊंच-नीच की भावना मौजूद है। जब तक हम इस भावना से छुटकारा नहीं पा लेते कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इस विशेष वर्ग की सहायता, चाहे वे अनु-सूचित जातियां हों, जनजातियां हों या पिछड़े वर्ग हों, इस तरह से की जानी चाहिए कि इससे स्थानीय लोगों में मत-भेद पैदा न हो या लोगों में अलगाव न बढ़े। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर बहुत से स्वैच्छिक संगठन अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों का सहयोग लेने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।"□

के० आर० 520,
मालारोड़,
कोटा-324001
(राजस्थान)

कुशली देवी की कुशलता

परिवार को गरीबी से निजात

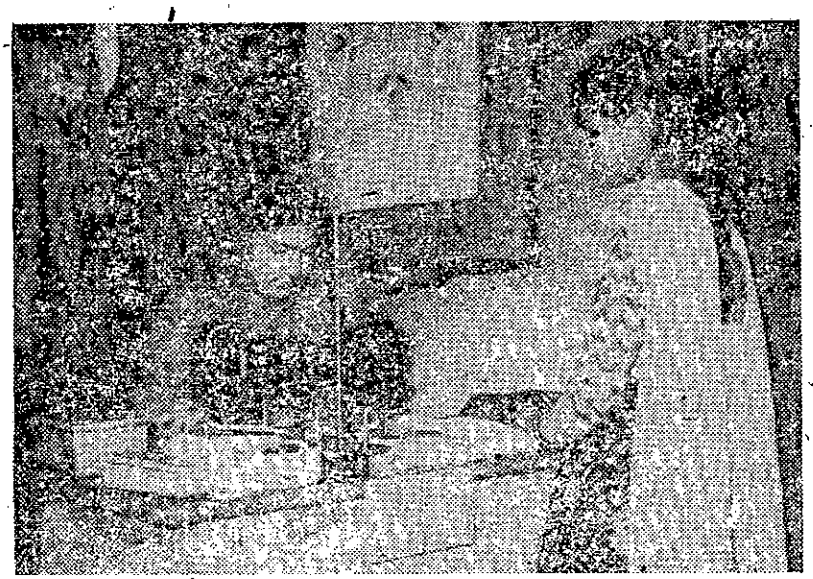

श्रीमती कुशली देवी, अपनी लड़की के साथ कार्यरत

श्रीमती कुशली देवी, पत्नी श्री भरत सिंह गांव टिकरी, डा० जैंसिंहपुर, खंड विकास लम्बागाओ (कांगड़ा) की रहने वाली हैं। इनके चार लड़कियां व एक लड़का है, परिवार के कुल सात सदस्य हैं। वे अपने परिवार का पालन-पोषण खेतिहर मजदूर के रूप में किया करते थे। उससे परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था।

कुशली देवी ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने जाने पर, एक पीको की मशीन बैंक से कुछ कर्ज लेकर तथा सरकार से कुछ अनुदान लेकर कुल 2496 रु० की खरीदी जिसमें से 832 रु० अनुदान के रूप में मिले और 1664 रु० कम दर पर कर्ज प्राप्त किया।

इस प्रकार इन लोगों ने खेतिहर मजदूरी छोड़ दी तथा कुशली देवी पीको का कार्य, 30 रु० प्रति मास के किराये पर एक दुकान लेकर, करने लगी। दुकान उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर टिकरी बाजार में है। पति घर पर ही रहते हैं। घरेलू कार्य करते हैं। श्रीमती कुशली देवी 15–20 रु० प्रतिदिन पीको से कमा लेती है, इस प्रकार प्रति मास 600 रु० गृहिणी होते हुए भी कमाने लगी और उन लोगों ने खेतिहर मजदूरी करना भी छोड़ दिया। वे अनुभव करने लगे हैं कि वे गरीबी की सीमा से ऊपर उठ रहे हैं।

भविष्य के लिए उनका विचार है कि वे दुकान हेतु अपना एक मकान वहीं सड़क के किनारे बना लें। वहां प्राप्त भूमि अपना मकान व दुकान बनाने योग्य है। इस तरह मकान और दुकान के किराये से भी बचा जा सकेगा।

आय बढ़ने से बैंक की किस्तें भी लगातार आसानी से देती जा रही हैं। अपनी लड़कियों को भी यही काम सिखाने का उनका इरादा है जिससे कि बड़े पैमाने पर काम शुरू कर परिवार के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जा सके।

बढ़ती आबादी की मंजिल—बरबादी

ब्रज लाल उनियाल

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बीमारी, भुखमरी और हिंसा का शोर विकासशील देशों में तो बहुत है पर विकसित देशों में भी यह सुनायी पड़ता है। आज के अर्थशास्त्री एकमत से यह स्वीकारते हैं कि इन बुराइयों की जड़ है बढ़ती आबादी और सीमित साधन। भारत की हालत तो शोचनीय है क्योंकि चीन जैसे देश ने जो आबादी में हम से कहीं बड़ा है, बहुत कड़े कदम उठाकर बढ़ती आबादी पर जबरदस्त रोक लगा दी है। "देर आयद दुरुस्त आयद"—चीन को अब होश आ गया है और वह अपनी बढ़ती जनसंख्या से बेहद त्रस्त था लेकिन अब सचेत और आशावान् हो गया है।

भारत की आबादी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। पिछले दशक में विश्व की जनसंख्या में लगभग 77 करोड़ की वृद्धि हुई है यानी इस दशक में भारत जैसा एक घनी आबादी वाला देश विश्वपरिवार में और जुड़ गया है। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 4 अरब 75 करोड़ है किन्तु विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आबादी इसी दर से बढ़ती गयी तो सन् 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी जिसमें विकासशील देशों के लोग होंगे लगभग 7 अरब और शेष दुनिया के लगभग 1 अरब 30 करोड़ अर्थात् जो देश इस समय भुखमरी, बरोजगारी और भ्रष्टाचार के घिनौने पंजों की जकड़ में हैं, वहां यह जकड़ और मजबूत और प्राणलेवा हो जाएगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कथाकार आइजेक एसिमोव का ख्याल है कि अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो दुनिया को कुछ ही समय में भुखमरी और नैराश्य का घटाटोप तिमिर लील जाएगा। इसकी हालत जंगल से भी बदतर होगी क्योंकि जंगल में तो जानवरों के दांत और पंजे ही प्रहार करते हैं पर हमारे पास तो विश्व विध्वंसक प्रलयकारी अस्त्र हैं।

इस संदर्भ में भारत की हालत तो बहुत ही शोचनीय है। 1950 में भारत की आबादी थी 35 करोड़ 75 लाख; 1955 में 38 करोड़ 98 लाख; 1960 में 43 करोड़ 27 लाख; 1965 में 48 करोड़ 25 लाख; 1970 में 53 करोड़ 88 लाख, 1975 में 58 करोड़ और 1984 में लगभग 75 करोड़। जनसंख्या विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि वृद्धिदर यही रही तो 2045 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ हो जाएगी और वह संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर इस समय लगभग 4.7 प्रतिशत है जबकि उत्तरी अमरीका और पूरे यूरोप की वृद्धि दर 1 प्रतिशत से भी कम है। और रूस में यत्नों के बाद अब लगभग 2 प्र०श० हो पायी है।

भारत ने निस्सन्देह परिवार नियोजन की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं पर वृद्धि पर अपेक्षित रोक नहीं लग पायी। हाल ही में मिसाल के तौर पर "टाइम" पत्रिका ने कलकत्ता की बेतहाशा बढ़ती आबादी की चर्चा करते हुए लिखा है कि संसार के महानगरों के लोगों में कलकत्ता वासियों का जीवन-स्तर बहुत ही घटिया है। 70 प्रतिशत से भी अधिक लोग या तो गरीबी रेखा पर या उससे भी नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। पांच व्यक्तियों के एक परिवार की मासिक औसत आय लगभग साढ़े तीन सौ रुपये है। गरीबी रेखा पर निर्वाह करने वालों की आय लगभग 80 रुपये मासिक है। लगभग 2 लाख लोग भीख मांग कर गुजारा करते हैं। हर हफ्ते कोई न कोई घर गिर पड़ता है। 40 प्रतिशत मकान 75 साल से भी पुराने हैं और 20 प्रतिशत को खतरनाक घोषित किया गया है। कलकत्ता मेडीकल कालेज 100 साल पहले बना था अब भग्नावस्था का पहला दौर शुरू हो चुका है। कलकत्ता में 70 प्रतिशत लोग एक कमरे वाले मकान में रहते हैं। 6 लाख लोग बेघर हैं। पत्रिका ने इस बिगड़ती हुई हालत का उत्तरदायी बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को ठहराया है।

यह हालत तो है भारत के एक महानगर की। लेकिन इस से भी बदतर हालत है भारत के अनेक गांवों और शहरों की जहां कि जूठन पर एक साथ गरीब बच्चे और कुत्ते झपटते हैं। कई लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है और प्रकृति की दुर्दम्य नृशंसता कइयों की जान ले लेती है। एक छोटी कोठरी में कई लोगों को दमघोट वातावरण में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। जगह-जगह गंदगियों के ढेर, गर्मियों में एक नल पर लगी लोगों की भीड़ और मारपीट, बसों की छतों पर भी सफर करते यात्री, रोजगार के लिए बेतहाशा भाग-दौड़ के बाद हताश लोगों द्वारा आत्महत्याएं, ये सभी बढ़ती आबादी के अपरिहार्य नतीजे हैं। बढ़ती आबादी का एक बड़ा अभिशाप है—ईंधन के लिए जंगलों का सफाया। भारत और तन्जानिया इसके उदाहरण हैं। जंगलों के कटाव से बाढ़ों का प्रकोप, पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी का कटाव आदि होता है।

अब सवाल इस बात का है। कि इस स्थिति पर कैसे काबू पाया जाए। विश्व के तमाम देश इस बात को स्वीकारते हैं कि परिवार नियोजन ही एक मात्र सशक्त उपाय है। विश्वबैंक की 1984 की डेवेलपमेन्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के लगभग 85 विकासशील देशों में, जहां दुनिया की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या है, परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु लगभग 27 देश ऐसे भी हैं जहां इस कार्यक्रम की प्रगति नगण्य है। मजेदार बात यह है कि इतने देशों में आबादी की वृद्धिदर सबसे अधिक है और राष्ट्रीय आय सबसे कम।

इस दिशा में चीन ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। वहां परिवार नियोजन पर सरकार ने बहुत जोर दिया है। वहां अधिक बच्चों के लिए न केवल लोगों को दंडित किया जाता है बल्कि सीमित परिवार के लिए तरह-तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। भारत में नारा था "हम दो हमारे दो"—पर उनका नारा है हम दो हमारा एक" थाईलैंड ने भी इस मामले में बहुत प्रगति की है। वहां की जनसंख्या की वृद्धिदर पहले 1000 पर 46.6 थी, अब यह घटकर 28.6 रह गयी है। पता चला है कि यह दर अब और भी नीचे यानी 19.5 तक रक्खी गयी है। वहां के गांवों में गर्भ रोधक दवाओं का धड़ल्ले से प्रचार हो रहा है।

हमारे देश की वृद्धिदर यद्यपि कुछ घट गयी है पर देश के सीमित साधनों और भयावह भविष्य की चुनौती है कि इस पर तुरंत अंकुश लगाएं और इसके लिए गांवों में अधिक से अधिक प्रचार करें जैसाकि थाईलैंड में किया गया है। जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए परिवार नियोजन का जोर-शोर से प्रचार किया जाये। इसके लिए प्रोत्साहन तो सरकार ने रखे हैं पर उनका व्यापक प्रचार नहीं है रेडियों व दूरदर्शन से वार्ताएं व नाटक प्रसारित किए जाएं। सबसे अधिक प्रचार की जरूरत गांवों और पिछड़े इलाकों में है। वहां वहीं के लोगों को यह काम सौंपा जाए। परिवार-नियोजन शिविर लगाए जाएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ जोड़कर बहुत लाभ हुआ है। यदि इस ओर अपेक्षित ध्यान न दिया गया तो निस्संदेह यहां की विकराल समस्याओं का हल किसी भी कुशल शासन के बूते के बाहर हो जाएगा। आखिर सीमित साधन और असीम आबादी के साथ क्या यह कहावत चरितार्थ नहीं होती "एक अनार सौ बीमार।" □

के० 38 एफ० साकेत,
नई दिल्ली -110017

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई गई योजनाएं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं। ये निष्कर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) ग्रामीण विकास के बारे में विशेष कार्यक्रम के मुख्य कार्य दल द्वारा गठित क्षेत्र विकास और भूमि सुधार से सम्बन्धित उप दल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में दिए गए हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1970–71 और मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977–78 से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सिंचाई क्षमता के विकास और प्रबन्ध, मृदा और नमी संरक्षण को बढ़ावा देने, वनीकरण, पशुधन और चरागाह विकास आदि के माध्यम से पारिस्थितिकीय संतुलन को फिर से स्थापित करना है। दोनों ही कार्यक्रम इस विचार पर आधारित हैं कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और पशु संख्या के बीच एक संतुलन होना चाहिए।

इन कार्यक्रमों का पूरे क्षेत्र पर प्रभाव का यद्यपि अभी विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया है फिर भी अनेक अध्ययनों द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कुछ या सभी सूत्रों का मूल्यांकन किया गया है।

गुजरात में पंचमहल जिले के एक मूल्यांकन से पता चलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई से फसल की सघनता में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसानों की आय में भी 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि बिहार के पलामू जिले में जलाशय विकास योजनाओं से जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और धान तथा गेहूं के उत्पादन में 26 से 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एक अध्ययन में कहा गया है कि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में दर्ज की गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शहतूत के फार्मों और अनाज संसाधन इकाइयों आदि की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया गया। शहतूत की खेती का क्षेत्र 1979 में 11,932 हैक्टेयर से बढ़कर 1983 में 33,603 हैक्टेयर हो गया। कच्चे रेशम का उत्पादन 1970 में 140 टन से बढ़कर 1979 में 572 टन और 1983 में 850 टन हो गया। धान की खेती से 2500 रुपये और गन्ने की खेती से 4500 रुपये की तुलना में अब प्रति हैक्टेयर वार्षिक आय 20,000 रुपये हो गई है। □

राजस्थान के आदिवासी बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर

अशोक कुमार यादव

राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्रों में निवास करने वाले जन जाति एवं अन्य समुदायों के मध्य व्याप्त आय एवं उत्पादन साधनों के स्वामित्व के अन्तर को कम करने, जनजाति परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा आदिवासी परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अपने क्षेत्रों में ही अधिकाधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही उप योजना क्षेत्र में प्रधान-मंत्री के "गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम" के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। यद्यपि इनमें से कुछ कार्यक्रम पूर्व से ही संचालित हैं किन्तु 20 सूत्रीय कार्यक्रम से इन्हें विशेष प्रगति मिली है।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास और आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों के साथ-साथ उन कार्यक्रमों को विशेष, वरीयता प्रदान की गई है जिनसे कि आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचता है। इस योजना अवधि में ऐसे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक लाभ के कार्यक्रमों से एक लाख से अधिक जनजाति परिवारों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकाल कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने एवं उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि इस वर्ष समाप्त होने को है ऐसे प्रत्यक्ष लाभ के कार्यक्रमों से योजना के प्रथम वर्ष 1980–81 में 8,230, 1981–82 में 10,930, 1982–83 में 13,783 तथा 1983–84 में 27,867 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है। जबकि अन्तिम वर्ष 1983–84 में 41,210 जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

फल विकास फार्म वानिकी : रतन जोत की खेती का रुझान बढ़ा

विकास की इस नई व्यूह रचना के अन्तर्गत जनजाति परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाली कई योजनाएं जनजाति उप-योजना क्षेत्र में प्रारम्भ की गई हैं। फल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय अर्जन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को फलदार वृक्षों के 25 पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, और तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक जीवित पौधे पर 10 रुपये प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 1978–79 से 1983–84 तक की अवधि में 1,731 हैक्टेयर भूमि को फल पौध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया इससे 11,717 जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। वर्ष 1984–85 में इस कार्यक्रम से 4 हजार आदिवासी परिवारों को और लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

फार्म फारेस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति के कृषक परिवारों को विभिन्न प्रकार के 100 वृक्षों की एक इकाई निःशुल्क प्रदान की जाती है तथा 2 वर्ष की अवधि तक प्रति पौधा 5 रुपये का अनुदान (प्रथम वर्ष में 2 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 3 रुपये) दिया जाता है। वर्ष 1982–83 से 83–84 तक की अवधि में इस कार्यक्रम से 15,500 जनजाति कृषकों को 15 लाख 50 हजार पौधों का वितरण कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1984–85 में इससे 12 हजार जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

निजी कृषि भूमि पर रतन जोत की पौध लगाकर जनजाति कृषक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। औसतन एक हैक्टेयर भूमि पर रतन जोत के पौधे लगाने से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय हो सकती है। जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से उप-योजना क्षेत्र में 1983–84 से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत जन-जाति परिवारों को रतन जोत का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और प्रति पौधा 50 पैसे की दर से प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1983–84 में इस रतन जोत की खेती के कार्यक्रम से 1329 जनजाति परिवार लाभान्वित किए गए जबकि चालू वर्ष में 1,800 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

आदिवासी महिलाएं रेशम कीट पालेंगी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा यूनाइटेड नेशन्स वोलन्ट्री फण्ड वुमन डेवलपमेंट के सहयोग से 35 लाख 59 हजार रुपये की तीन वर्षीय रेशम कीट पालन की एक विशेष परियोजना वर्ष 1983–84 से हाथ में ली गई है। इसके अन्तर्गत उप योजना क्षेत्र के उदयपुर जिले के चयनित 12 गांवों की 300 जनजाति महिला कृषकों को रेशम कीट पालन, धागा निकालने, धागे की कताई एवं आवश्यक उपकरण तैयार करने का

प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 1983–84 में 95 जनजाति महिला काश्तकारों के यहां योजना क्रियान्वित कर दी गई है। इस विशेष योजना के अलावा उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले की 100 और जनजाति महिलाओं को विभागीय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। रेशम कीट पालन हेतु परियोजनान्तर्गत सामुदायिक रेशम कीट पालन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

जनजातियों में आत्म निर्भरता बढ़ी

उपयोजना क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक की अवधि में कुल मिलाकर 54,256 निर्धनतम परिवारों को साधन सुविधाएं सुलभ कराके आत्म निर्भर बनाया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 1984–85 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से 9,400 जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान करने का लक्ष्य है।

जनजाति कृषकों के अनुपयोगी कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराने पर आने वाली सम्पूर्ण लागत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 1974–75 से 1983–84 तक की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कृषकों के 6,151 कुओं को गहरा करवाया गया है। तथा 500 कृषकों को चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा।

जनजाति कृषकों के कुओं को विद्युतीकृत करने हेतु अतिरिक्त खम्भे लगाने की लागत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 1974–75 में 1983–84 तक की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,463 कुओं को खम्भा अनुदान देकर विद्युतीकृत कराया गया है व चालू वर्ष में इस कार्यक्रम से 100 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

ग्रामोद्योग

उप योजना क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के उद्देश्य से राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान सहायताएं उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक की अवधि में प्रति वर्ष औसतन एक हजार जनजाति परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है जबकि वर्ष 1984–85 में 3,400 जनजाति परिवारों को और लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

आदिवासी अब वन न काटकर उनकी रक्षा करते हैं

सामाजिक सुरक्षा वानिकी कार्यक्रम जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उन निर्धन आदिवासी परिवारों के लिए प्रारम्भ किया गया है जो वन विकास कार्यों द्वारा रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जनजाति परिवारों को प्रति वर्ष 2 हैक्टेयर वन भूमि की दर से 15 वर्ष में 30 हैक्टेयर वन भूमि का आवंटन किया जाता है तथा इस भूमि पर वन लगाने के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों को 15 वर्ष की अवधि तक 250 रुपये प्रति माह निर्वाह भत्ता व अपनी वन भूमि पर झोपड़ी बनाने हेतु 500 रुपये तक एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कार्यक्रम के अनुसार लगाए गए वन क्षेत्र में होने वाली आय का 20 प्रतिशत भाग इन व्यक्तियों को देने की व्यवस्था है। वर्ष 1981–82 से 1983–84 तक की अवधि में इस कार्यक्रम से 350 जनजाति परिवार लाभान्वित हुए हैं व वर्ष 1984–85 में 100 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासी युवक/युवतियों को अपने स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गत वर्ष 1983–84 में इन कार्यक्रमों से 557 जनजाति को लाभान्वित किया गया। 1984–85 में 650 से अधिक जनजाति युवाओं को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

आदिवासियों को राज्य संघ के माध्यम से बीड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनजाति परिवारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना है। वर्ष 1983–84 में इस कार्यक्रम से 236 आदिवासियों को रोजगार सुलभ कराया गया है तथा 1984–85 में एक हजार अतिरिक्त जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार राज्य संघ द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासियों को सहायक रोजगार प्रदान कर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से लघु वन उपज संग्रहण का कार्य कराया जाता है। इस कार्य से लगभग 10 हजार जनजाति परिवार प्रति वर्ष लाभान्वित हो रहे हैं।

उप योजना क्षेत्र के माही, जयसमंद एवं कडाना जलाशयों तथा अन्य छोटे जलाशयों में मत्स्य आखेट कार्य करने के लिए आदिवासियों की 18 सहकारी समितियां गठित कराके मत्स्य आखेट को उनके जीवनयापन का साधन बनाया गया है। मत्स्य आखेट के लिए नाव एवं जाल खरीदने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उत्पादित होने वाले दूध की बिक्री तथा आदिवासियों को डेयरी उद्योग में अधिकाधिक संख्या में लगाने के लिए 80 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर इनके 400 जनजाति व्यक्ति सदस्य बनाए गए हैं। वर्ष 1984–85 में 30 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठन कर 300 अतिरिक्त जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

आदिवासियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं

जनजाति के लघु एवं सीमांत काश्तकारों को खाद पर 25 प्रतिशत, कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत तथा कीटनाशक दवाईयों के क्रय पर 33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है तथा ट्यूब वैल लगवाने पर लागत की 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।

बैल जोड़ी, बैलगाड़ी, दुधारु पशु, बकरियां व भेड़ इकाइयां खरीदने पर जनजाति के व्यक्तियों को 50 प्रतिशत अनुदान सहायता देने की व्यवस्था है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनजाति व्यक्तियों को एक रुपया प्रति वर्ग-

गज के हिसाब से भूमि आवंटन के भी प्रबन्ध किए गए हैं।

आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए, कृषि विभाग, द्वारा जनजाति कृषकों के खेतों पर निःशुल्क कृषि प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। गरीब जनजाति व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके राजस्व एवं सिविल मुकदमों के लिए 250 रुपये तक मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जनजाति परिवारों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दृष्टि से जनजाति महिलाओं को दूरबीन विधि से नसबन्दी आपरेशन कराने पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, द्वारा 150 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को सहकारी समितियों के अंश खरीदने के लिए 5 हजार रुपये तक की अनुदान सहायता देने की व्यवस्था है।

शिक्षा से ही रोजगार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित कर रहा है। कक्षा एक व दो के जनजाति छात्रों तथा कक्षा एक से 5 तक की जनजाति छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री व स्कूल गणवेश वितरण की व्यवस्था है। कक्षा एक व दो की जनजाति छात्राओं के लिए 5 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से उपस्थिति प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार कक्षा 9, 10 व 11 के जनजाति विद्यार्थियों को प्रतिमाह क्रमशः 40, 50 व 80 रुपये के हिसाब से गणित एवं विज्ञान छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था है। आश्रम विद्यालयों तथा छात्रावासों में जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं खाने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार जनजाति समुदाय इन विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठाकर बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। □

जन सम्पर्क अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

आर्थिक जोत बनाम चकबंदी

विनोद गुप्ता

भारत यद्यपि कृषि प्रधान देश है और कृषि यहां का प्रमुख व्यवसाय है किन्तु पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि के निरन्तर बंटवारे से खेतों का आकार छोटा होता रहा है जिससे उनकी आर्थिक उपयोगिता का ह्रास हुआ है। इस प्रकार अनार्थिक जोतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भूमि के बंटवारे ने खेतों के उप-विभाजन की समस्या को जन्म दिया है। समस्या केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है वरन् एक ही व्यक्ति के छोटे-छोटे खेत अलग-अलग जगह बिखरे हुए हैं। अपखंडन की यह समस्या उप-विभाजन की समस्या से भी अधिक गंभीर है। अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदलना चकबन्दी से ही संभव है।

भारत में कार्यशील जोतों का औसत आकार निरन्तर घटता चला जा रहा है। 1961-62 में भारत में कार्यशील जोत का आकार 2.6 हैक्टेयर था जो 1970-71 में 2.28 हैक्टेयर रह गया। 1976-77 में कार्यशील जोतों का आकार 2.00 हैक्टेयर ही रह गया जो निश्चित ही चिन्ता का विषय है। जब कि विश्व के अन्य देशों में कार्यशील जोतों का आकार हमसे बहुत अधिक है। कनाडा में कार्यशील जोत का आकार 197.54 हैक्टेयर, मैक्सिको में 142.29 हैक्टेयर और अमेरिका में 157.61 हैक्टेयर है।

इतना ही नहीं भूमि के वितरण में भी बहुत असमानता है। देश के अधिकांश किसानों के पास कुल भूमि का एक बहुत ही छोटा भाग है जबकि थोड़े से किसानों के पास कुल भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है। (देखिए तालिका)। 1976-77 में एक हैक्टेयर जोतों की संख्या कुछ कार्यशील जोतों का 55 प्रतिशत थी किन्तु उनमें कुल क्षेत्र का केवल 11 प्रतिशत ही हिस्सा था जबकि 10 हैक्टेयर और उससे अधिक आकार वाली जोतों का केवल 3 प्रतिशत ही थी किन्तु उनमें कुल क्षेत्र का 26 प्रतिशत भाग था।

तालिका से स्पष्ट होता है कि देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है किन्तु उनके पास कुल कृषि भूमि का अंश बहुत कम है। हमारे देश में न केवल खेत आकार में

तालिका

कार्यशील जोतों का आकार के अनुसार वितरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर में)	कुल जोतों का प्रतिशत	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
(सीमांत) 1.0 हैक्टेयर से कम	54.6	10.7
(लघु) 1.0 से 2.0 हैक्टेयर	18.0	12.7
(अर्द्धमध्यम) 2.0 से 4.0 हैक्टेयर	14.3	19.9
(मध्यम) 4.0 से 10.0 हैक्टेयर	10.1	30.4
(बड़ी) 10.0 हैक्टेयर से अधिक	3.0	26.2
कुल	100.0	100.0

ही छोटे हैं वरन् इन जोतों का अपखंडन भी है। परिणामस्वरूप खेती करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और कृषि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

हमारे देश में भूमि का उप-विभाजन और अपखंडन प्रायः साथ-साथ ही पाया जाता है। उपविभाजन और अपखंडन का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियम हैं। इससे भूमि के वितरण में समानता तो अवश्य आ जाती है किन्तु दो या तीन पीढ़ियों में ही भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यदि भूमि कई भागों में है तो उत्तराधिकारी प्रत्येक स्थान की भूमि में हिस्सा चाहता है। ऐसी स्थिति में खेत दूर-दूर बिखर जाते हैं। आज संयुक्त परिवार प्रणाली प्रायः लुप्त हो गई है। संयुक्त परिवारों के विघटन ने भूमि के बटवारे करने में अपना योगदान दिया है।

भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी भूमि के उपविभाजन और अपखंडन के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश का किसान अपनी भूमि से बहुत प्रेम करता है जिसके कारण वह अपनी पैतृक भूमि में से, चाहे उसे छोटा-सा टुकड़ा ही क्यों न मिले, पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण भी यह समस्या बढ़ती चली गई है। किसान आवश्यकता पड़ने पर भूमि को गिरवी रखकर कर्ज ले लेते हैं किन्तु कर्ज चुकाने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं होने से भूमि का एक हिस्सा बेच कर कर्ज चुकाते हैं। किसानों की अशिक्षा, अज्ञानता और अन्यत्र रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण भूमि के उपविभाजन और उप-खंडन का प्रमुख कारण है। अज्ञानता के कारण वे इसके गंभीर परिणामों को समझ नहीं पाते हैं। उनके पास रोजी-रोटी का और कोई साधन भी नहीं होता अतः अपने हिस्से का खंड पाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता और परिणाम होता है कृषि भूमि का अनेक टुकडों में विभाजन। वास्तव में इसकी जड़ें जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी में भी फैली हैं।

भूमि के उपविभाजन और अपखंडन के अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। छोटे-छोटे खेतों पर कृषि कार्य करने से लागत बहुत बढ़ जाती है और उसकी लाभदायकता समाप्त हो जाती है। आकार में बहुत छोटे खेत होने से न तो बैलों का ही समुचित उपयोग होता है और न ही अन्य औजारों का। परिणामस्वरूप प्रति हैक्टेयर उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कुछ खेत तो इतने छोटे आकार के होते हैं कि ठीक से उन्हें जोता या बोया भी नहीं जा सकता। ट्रैक्टरों के उपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

यदि खेत का आकार छोटा है तो सिंचाई हेतु कुएं भी नहीं खोदे जा सकते हैं। यदि अन्य कुओं से पानी लाया जाए तो उसकी लागत अधिक बैठती है। और भी अनेक समस्याओं का जन्म हो जाता है। यदि साझेदारों के आधार पर कुएं निर्मित किए जाएं तो मरम्मत के अभाव में वे शीघ्र ही अनुपयोगी बन जाते हैं।

कृषि में यंत्रीकरण आज की प्रमुख आवश्यकता है जो लाभप्रद कृषि की ओर क्रांतिकारी कदम है। किन्तु, इतने छोटे और दूर-दूर बिखरे खेतों में यंत्रीकरण संभव नहीं होता। परिणामस्वरूप वैज्ञानिक कृषि और भूमि सुधार करने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से बहुत सी भूमि मेढ़ आदि के रूप में बेकार चली जाती है। अनुमान है कि कृषि योग्य भूमि का 3 प्रतिशत भाग मेढ़ों में घिरा है।

उपविभाजन और अपखंडन से समय और शक्ति का व्यर्थ में अप-व्यय होता है। यही नहीं जोत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से, किसानों के बीच में रास्ता तथा चौहद्दी के लिए आए दिन झगड़े हुआ करते हैं और मुकदमेबाजी तक चलती है जिसमें अनावश्यक व्यय भी होता है।

यदि खेत दूर-दूर तक बिखरे हैं तो उन पर निगरानी रखना भी कठिन होता है और फिर एक खेत से दूसरे खेत में खाद-बीज और अन्य औजार लाने ले जाने में अनावश्यक व्यय भी होता है। छोटे-छोटे खेतों पर सघन खेती करने में भी कठिनाई होती है। इन छोटे आकार के खेतों की जमानत पर ऋण भी सरलता से नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो ऊंची ब्याज दर पर।

अतः भूमि के उपविभाजन और अपखंडन की गंभीर समस्या को तत्काल हल करने की आवश्यकता है जिसका एकमात्र हल चकबंदी है। चकबंदी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है। चकबंदी में किसान की संपूर्ण जोत एक स्थान पर कर दी जाती है जिसके द्वारा किसान को कई बिखरे हुए टुकड़ों के स्थान पर एक ही जगह में सारी भूमि प्राप्त हो जाती है।

चकबंदी दो प्रकार की हो सकती है ऐच्छिक और अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी भारत में सर्वप्रथम पंजाब में 1921 में आरंभ हुई थी। इसमें चकबंदी कराना किसान की स्वेच्छा पर निर्भर रहता है। आज भी मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि में ऐच्छिक चकबंदी की जाती है।

अनिवार्य चकबंदी में किसान को अनिवार्य रूप से चकबंदी करानी पड़ती है। अनेक राज्यों ने इस संबंध में कानून बना दिए हैं। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां चकबंदी हेतु किसी तरह का कोई कानून नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा में चकबंदी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एक अनुमान के अनुसार अब तक देश में कोई 500 लाख हैक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है।

यदि सभी राज्यों में चकबंदी संबंधी व्यवस्था की जाए तो इससे न केवल कृषि उत्पादन एवं आय में ही वृद्धि होगी वरन् श्रम एवं अन्य साधनों की भी बचत होगी। चकबंदी से पूंजीगत साधनों का उपयोग संभव होता है और भूमि के अपव्यय में भी बचत होती है।

हालांकि चकबंदी करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किन्तु यदि ईमानदारी पूर्वक चकबंदी की जाए तो इससे किसानों का भाग्योदय हो सकता है। भूमि का उचित मूल्यांकन किया जाना बहुत जरूरी है। आज जोतों का आकार बढ़ाने के लिए चकबंदी एक अनिवार्य आवश्यकता है।

इस संबंध में अधिक कारगर सफलता के लिए भूमि सुधारों को लागू करके भूमि वितरण की कठिन विषमताओं पर काबू पाया जाना भी जरूरी है। उत्तराधिकारी कानून के उस अंश को भी बदलना कारगर सिद्ध होगा जिससे भूमि के उपखंडन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही एक ओर जहां सीमित परिवार के विचार को गांवों में भी लोकप्रिय बनाना पड़ेगा वहीं ग्रामीण जनता को सुरक्षा और रोजगार गारंटी का प्रबंध करना होगा। □

दीपक निवास,
156—महात्मा गांधी मार्ग
बड़वानी—451551 (म०प्र०)

सफलता राह दिखाती है

भरोसा अपने बाजुओं का

एम० के शर्मा

'भरोसा अपने बाजुओं का' यह विचार है ग्राम देहतीरा विकास खण्ड विचपुरी (आगरा) उत्तर प्रदेश के श्री धनीराम जी का। श्री धनी राम जी के पास केवल एक बीघा खेत था। इससे परिवार का खर्च चलना बड़ा कठिन था। देहतीरा गांव शहर के काफी निकट होने के कारण गांव का कृषि उत्पादन शहर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस विचार ने श्री धनी राम को काफी बल दिया।

श्री धनीराम ने अपनी बचत के रुपयों से एक गाय क्रय की जो मात्र 8 कि० ग्रा० प्रतिदिन दूध देती थी। आरम्भ में ज्ञान के अभाव वश वे अपनी गाय का अन्यत्र प्रजनन कराते रहे परन्तु प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, विचपुरी के सम्पर्क में आने के बाद केन्द्र की मदद से उनकी गाय से पहली संकर बछिया एफ–1 हुई। जिसकी इस समय आयु 5 वर्ष की है जो दो बार ब्याकर इस समय 15 किलो प्रतिदिन दूध दे रही है। इसकी पहले बियात की संकरे एफ–2 बछिया दिन में 3 दोहन पर 22 लीटर दूध देती है। यद्यपि इसका बच्चा मर गया है।

प्रारम्भिक गाय की दूसरी बछिया एफ० 1, 15 लीटर दूध प्रतिदिन देती है और इसके नीचे एक माह की बछिया एफ–2 है। तीसरी बछिया एफ–1 जो 2 वर्ष की है, 12 लीटर दूध दे रही है। इसकी बछिया एफ०–2 जो लगभग 1 वर्ष की है शीघ्र गाभिन होने लायक हो जाएगी। इस प्रकार श्री धनी राम ने एक गाय से संकर दुधारू गाय एवं 3 बछिया बना लीं जिनका बाजार मूल्य लगभग 25,000 रु० होगा। गाय के अतिरिक्त श्री धनीराम के पास आज कई संकर जातियों की भैंस भी हैं। श्री धनी राम का अनुभव है कि गाय से अधिक अवधि तक दूध एवं अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है लेकिन बाजार में अधिक दूध का भाव प्राप्त करने के लिए भैंस का दूध मिलाना लाभदायक रहता है।

आज श्री धनीराम प्रतिदिन 60 लीटर दूध दुहते हैं जिसे 2.50 रु० प्रति लिटर की दर से बेचकर प्रति माह 4,500 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। इस सफलता के पीछे श्री धनी राम का कठिन परिश्रम एवं आधुनिक विचार धारा है। वे अपने एक खेत पर हरा चारा जैसे बरसीम, एम० पी० चरी, लोबिया आदि बोते हैं, जिससे पशुओं को पूरे वर्ष हरा चारा अवश्य मिलता रहे। कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशानुसार पशुओं को पौष्टिक एवं सन्तुलित आहार देते हैं। प्रत्येक दूध देने वाली गाय को 5 किलो दाना, 15 किलो बरसीम और 6 से 8 किलो भूसा आहार में देते हैं। इस प्रकार प्रतिमाह पशुओं पर वह 2,500 रु० खर्च करते हैं और 2000 रु० शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं।

श्री धनी राम पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करते हैं, तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक प्रशिक्षण केन्द्र से सम्पर्क रखते हैं तथा, चर्चा मण्डलों की बैठक में भाग लेते हैं। रेडियो प्रसारण सुनकर पशु पालकों के नियमित आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेते हैं। आज देहतीरा गांव में श्री धनीराम के कठिन परिश्रम, लगन एवं पशुओं के प्रति प्रेम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस गांव के कई गरीब किसानों ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 3000 रु० सहकारी बैंकों से ऋण लेकर पशुओं को क्रय किया है और दूध बेचकर ऋण की अदायगी कर रहे हैं।

श्री धनी राम की संकर गायें विचपुरी में आयोजित जिला पशु प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश के पशुपालन विभाग के मंत्री श्री संजय सिंह से भी प्रशंसा अर्जित कर चुकी हैं। श्री धनी राम का सुझाव है कि जो लोग गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं उनको अपने बाजुओं पर भरोसा रखकर नई तकनीकी के साथ गोपालन एवं पशुपालन में लगना चाहिए। □

प्रकाशन अधिकारी
कार्यालय आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं
ग्राम विकास, उ०प्र०

एक पंथ दो काज

नासिक जिले के सोनगिरी के एक छोटे किसान, राजाराम लहने के पास चार बैल और दो दुधारू पशु थे। अभी तक पशुओं का गोबर उपले बनाने के काम आता था जिनका उपयोग बाद में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता था।

जब गोबर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था तो गृहणियां अपने गांव के आस-पास की झाड़ियों से सूखी लकड़ियां एकत्रित करती थीं। गोबर से उपले पाथने के कारण खेतों में खाद के लिए बहुत थोड़ा-सा ही गोबर बच पाता था।

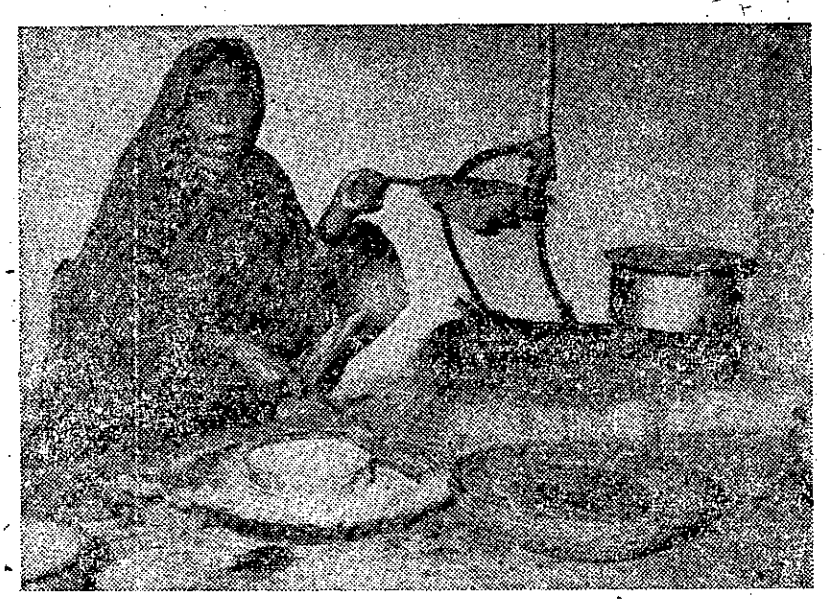

राजाराम लहने की पत्नी अपनी रसोई घर में।

राजाराम लहने ने महिलाओं की सहायता करने के लिए एक बायो गैस संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया। समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे यूनियन बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा ने गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने और चूल्हे लगाने के लिए 6000 रुपये का ऋण देने की पेशकश की। उसने इस ऋण को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। गैस संयंत्र और गैस से जलने वाले चूल्हे शीघ्र ही चालू हो गए। पर्याप्त मात्रा में ईंधन गैस तैयार करने के लिए छह पशुओं का गोबर काफी था। लहने की पत्नी बहुत खुश थी। धुआं और न सुलगने वाला कोयला अब उसे नहीं सताता था। परन्तु उसका पति और अधिक प्रसन्न था। अब उनकी रसोई में उनके बर्तन सोने की तरह चमकने के साथ-साथ उसके खेतों के लिए जैव खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी।

रासायनिक खाद खरीदने से हुई बचत से वह बैंक ऋण की किश्तें नियमित रूप से चुका रहा है। □

मानवता की ज्योति जगाओ

महाराज

निशा सदा को मिटे देश से
प्रियवर, ऐसे दीप जलाओ,
दुखों अभावों की रजनी में
श्रम-संयम की ज्योति जगाओ।

मिट्टी के दीप जलाने से
नहीं लक्ष्मी घर में आए,
जन गण मन की कलुष कालिमा
दीपमालिका हटा न पाए।
चरण चांपतीं लक्ष्मी उसके
जो कष्टों की सेज बनाए,
जीवन-तम विवेक प्रकाश से
हटे, सदा यह वेद बताए,
वाह्य तम भंजन से लाभ क्या ?
अन्तर तम को दूर भगाओ,
परम्परा के मृत पंथों पर
चल अमूल्य नहीं समय गंवाओ।

अज्ञान निशा के निविड़ तम में
कोई न यहां भटकने पाए,
हो ज्ञान-दीप प्रदीप्त सखे !
जड़ता तिमिर न रहने पाए।
आततायी विचार - वायु
नभ में नहीं विचरने पाए,
दे बढ़ा सद्गुणों का अंचल
दीप ज्योति न बुझने पाए।
प्रेम पवन से प्रलय घटाएं
आसुरी वृत्तियों की हटाओ,
तुम मानव हो मानव मन में
मानवता की ज्योति जगाओ।

कर्ज का अहसास कृतज्ञता में बदल गया

हर्ष वर्धन पाठक

मध्य प्रदेश शासन ने छोटे किसानों के दस वर्ष पुराने अल्पावधि सहकारी बैंक ऋण तथा तकावी की रकम माफ की है। दस एकड़ से कम काश्त वाले किसानों को पूरी ऋण राशि तथा दस एकड़ से अधिक काश्त वाले किसानों को आधी ऋण राशि की छूट दी है।

विदिशा जिले के रुसल्ली गांव का वृद्ध किसान तुला अब अपनी आयु के उस दौर में है जब संघर्ष से थककर शारीरिक शक्ति जवाब देने लगती है। तुला की नेत्र ज्योति क्षीण हो चुकी है और पैरों में ताकत नहीं है, लंगड़ा कर चलता है। लाठी ही अब एक मात्र सहारा है। एक मात्र इसलिए कि वह अकेला है। एक लड़की है, शादी हो चुकी है। परिवार में अब कोई नहीं। अपनी सही आयु का पता तुला को भी नहीं है। शायद सत्तर-पचहत्तर साल का होगा।

यह तुला विदिशा जिले के उन साढ़े चौदह हजार व्यक्तियों में से एक है जिनके वर्षों पुराने बैंक ऋण और तकावी की बकाया रकम राज्य शासन ने माफ की है। तुला के पास करीब पांच बीघा जमीन है। उसको खेती के लिए बैल खरीदने के वास्ते उसने एक सौ पचास रु० का कर्जा लिया था। लगभग पन्द्रह वर्ष पहले की यह बात है। तब से वह कर्जा और ब्याज की कुछ किश्तें दे ही चुका है। कितना चुकाया यह वह नहीं बता पाया। रसीदें कुछ मिलीं, कुछ नहीं मिलीं, जो मिलीं वे भी गुम गई हैं।

तुला के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं था लेकिन कर्ज तो कर्ज ही होता है। उसे पटाने की एक चिंता सिर पर सवार बनी रहती थी। आखिरकार इस चिंता से उसे गांधी जयंती के दिन मुक्ति मिल गई। यह मुक्ति एक ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र के रूप में मिली, उसे प्राप्त हुए ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र के अनुसार उसके ऋण की शेष राशि उनहत्तर रुपये और उस पर ब्याज की राशि नौ रुपये उनसठ पैसे से उसे मुक्त किया गया है।

ऋण मुक्ति अभियान से लाभान्वित विकलांग वृद्ध तुला सांसद श्री प्रताप भानु शर्मा से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए।

विदिशा जिले की ही गमाकर गांव की प्रौढ़ा लूमा बाई को उसके पति द्वारा लिए गए ऋण से मुक्ति मिली है। उसके ऊपर मूल रकम तीन सौ रुपये और उस पर ब्याज की राशि दो सौ बहत्तर रुपये तथा सत्रह पैसे की अदायगी बाकी थी। लूमा बाई धानक जाति की है।

तकावी के ऋण से मुक्ति का प्रमाण-पत्र पाने वालों में जिले के छीपाखेड़ा गांव का हरिसिंह भी है। उसके पिता स्वर्गीय कमोद सिंह पुत्र मेहताब सिंह ने कभी यह तकावी ली थी। हरिसिंह की आयु चालीस वर्ष की है और उसे यह याद नहीं कि उसके पिता ने कितने साल पहले यह तकावी ली थी? उसे मिले ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र के मुताबिक वह 2288 रु० की देनदारी से मुक्त हो गया है। देव खंजूरी गांव के हरी नारायण वल्द राजाराम ने अपनी खेती-बाड़ी के लिए बैल खरीदने और कुआं बनाने के लिए चौदह सौ रुपये का ऋण लिया था। ब्याज मिलाकर यह रकम अट्ठाईस सौ रुपये हो गई थी। उसे भी इस ऋण से मुक्ति मिली।

देव खंजूरी गांव के ही छोटेराम, इमलिया गांव के ददन सिंह, मदन सिंह, पैखासा गांव के काशीराम, करारिया गांव के रफीक खां आदि सैकड़ों किसानों ने दो अक्तूबर को विदिशा जिले के विदिशा नगर में आयोजित प्रथम ऋण मुक्ति कार्यक्रम में वर्षों पुराने कर्जों से छुटकारा पाने का सुख पाया। इन सभी किसानों के चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता के भाव साफ-साफ पढ़े जा सकते थे।

ऋणमुक्ति अभियान से लाभान्वित हरिजन महिला लूमाबाई

कर्ज से मुक्ति पाना, छोटा कर्ज हो या बड़ा, पिता ने लिया हो या स्वयं ने, एक सुखद अहसास है। इस सुख का अनुभव अब जिले के उन साढ़े चौदह हजार किसानों को हो रहा है, जिनके लगभग एक करोड़ रुपये के कर्ज माफ हो गए हैं। □

जन सम्पर्क अधिकारी,
जिला विदिशा

पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए। फूल आए, फल लगे पर चखने वाले और हैं। ए! चखने वालो फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।

महेन्द्र पाल सिंह

रंगाई छपाई का गांव

आकोला

नटवर त्रिपाठी

आकोला चितौड़गढ़ जिले में रंगाई छपाई कारोबार का एक गांव है। देश परदेश में जिन लोगों को जयपुर के बगरू की, कोटा डोरिया के केयून और भीलवाड़ा तथा जयपुर के सांगानेर की पहचान है उन लोगों को आकोला प्रिन्ट, आकोला छपाई और बन्धेज भी उतना ही अधिक प्रिय है।

आकोला में चाहे जिस गली-कूचे में निकल जाओ औरतें नंग बांधती हुई, पुरुष कपड़ों पर रंग चढ़ाते, उन्हें छापते हुए देखा जा सकता है। पास में बह रही बेड़च नदी के किनारों पर कपड़ों की धुलाई-सुखाई के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। गांव के ही मोहल्लों में रेगर, अपने तकुए पर कपड़ा बनाते नजर आएगें। ये मोटा कपड़ा बनाते हैं जिसकी मांग इस क्षेत्र के ग्रामीण हल्कों में रहती है। आकोला में रेजा बुनाई और ग्रामीण लोगों के पहनावे के कपड़ों की छपाई का काम बहुतायत से होता है। फेन्सी छपाई और रंगाई का काम भी काफी चल पड़ा है।

एम्पोरियम की बढ़ती मांग

जयपुर, गुजरात और निकटवर्तीय राज्य के हेण्डीक्राफ्ट एम्पोरियमों में आकोला के रंगों की प्रिन्ट की और बनावट की गहरी मांग और छाप है। आकोला की छपाई के कपड़े देश-विदेश में बिकने जाते हैं। यहां के छीपों के पास साल-साल के अगुआ आर्डर पड़े रहते हैं और काम के आगे फुर्सत मिलती ही नहीं। काम बहुत दुरूह, श्रम और समय साध्य है। इसलिए जो कपड़ा बनकर सामने आता है पहली नजर में ही आखों पर चढ़ जाता है।

छपाई में उभरा एक परिवार

यहां एक परिवार है नन्दलाल छीपा का। यह परिवार हर बार पुरस्कृत होता है कभी जिला स्तर पर तो कभी राज्य और अन्तर्राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर के दस्तकारों में नन्दलाल भेरुलाल का नाम है। नन्दलाल ने समय के बदलाव के साथ अपने को ढ़ाला और नई रोशनी, नई मांग के अनुरूप छपाई करने लगा। फलस्वरूप इनके घर के बाहर एम्पोरियमों की सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं और यह सम्पूर्ण परिवार छपाई की साधना में लगा रहता है।

बातचीत के दौरान 52 वर्षीय नन्दलाल छीपा ने रंगाई-छपाई की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों, बाजार, दस्तकारों की कठिन जिन्दगी और इससे मिलने वाली कम आय के बारे में सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि आकोला के छीपे उदयपुर और भीलवाड़ा के गांवों से यहां आए और पानी की सुविधा के कारण यहां बस गए। एक परिवार के साथ अनेक परिवार यहां आते गए। नन्दलाल का परिवार दो पीढ़ियों पूर्व पोटलां से आया। नन्दलाल ने बताया कि आल और नील के पेड़ों से बनाए रंगों से लाल और नीली छपाई में हरड़े, गोंद, चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त रंगों में मेंड नुप्तुल, वेगर भी मिलाते हैं। जो कपड़ा छप कर तैयार हो जाता है नंग कहा जाता है। नंगों की लम्बाई 5 से 7 मीटर और चौड़ाई एक मीटर होती है। रंगाई-छपाई के लिए घरों के बाहर बनी हुई बड़ी-बड़ी

रेशा बुनते आकोला गांव के दस्तकार

कुण्डियों का प्रयोग होता है। छपाई के लिए बने बनाए बाजारु रंगों के स्थान पर पेड़-पौधे और वनस्पति तथा देशी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आकोला का रंग गहरा और इतना पक्का होता है कि कपड़ा फट जाए पर रंग नहीं जाता है। कपड़ों को रात भर भीगने दिया जाता है और सुबह फिर उसकी धुलाई होती है। धुलाई के लिए नदी के पानी का इस्तेमाल होता है और रेत पर सूखे कपड़ों पर पानी की छांट लगाई जाती है। डोबा, डाट और धुलाई की प्रक्रियाओं से कपड़ों पर चढ़ने वाला रंग खिल उठता है।

सफेद और लाल तीतरी

कपड़ों का डिजाइन की चर्चा करते हुए भेरूलाल ने बताया कि जिन कपड़ों पर छपाई होती है वे सफेद तीतरी वाले और जिन पर बूंटों की छपाई होती है लाल तीतरी के कहे जाते हैं। एक "करसानी" और दूसरी "शहरी"। करसानी छपाई में मालिन भांत, रेबारी भांत, गुजराती भांत चलती है। इस कपड़े को रेबारी, जाट, गुजरमाली, गाडरी, जनवा, कुम्हार, भील, मोची, तेली तथा तम्बोली आदि समुदाय बहुत चाव से पहनते हैं। शहरी लोगों के लिए बड़ा बूंटा, लोंग, कोट, सांकर कोट, हुत्था, छोटा बूंटा आदि छापे जाते हैं। इसके अलावा साड़ियां, पर्दे, तकिए, बेडसीट रजाइयां और चादरे भी खूब छपते और बिकते हैं।

छपाई की किस्म

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस फन के मालिकों ने बताया कि छपाई में जो ब्लाक काम में लिए जाते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनसे रेखाएं बनती चली जाती है और दूसरी से बून्दियां बनाती है। छापों को यहां भांत कहा जाता है। इनके भी कई नाम हैं जैसे कलो, बिमणों, किनारी, कव्क्यों, उजासू, नानीजाड़ा, नान्दणा भांत, मिर्ची भांत, मच्छो कोर, तरफूली आदि। लोक देवताओं और आदर्श पुरुषों के छापे "भांत" भी देखने को मिलती हैं। ढोला मारु, श्रवन गणगोर, कालाजो, गोराजी के छापे भी प्रयुक्त होते हैं।

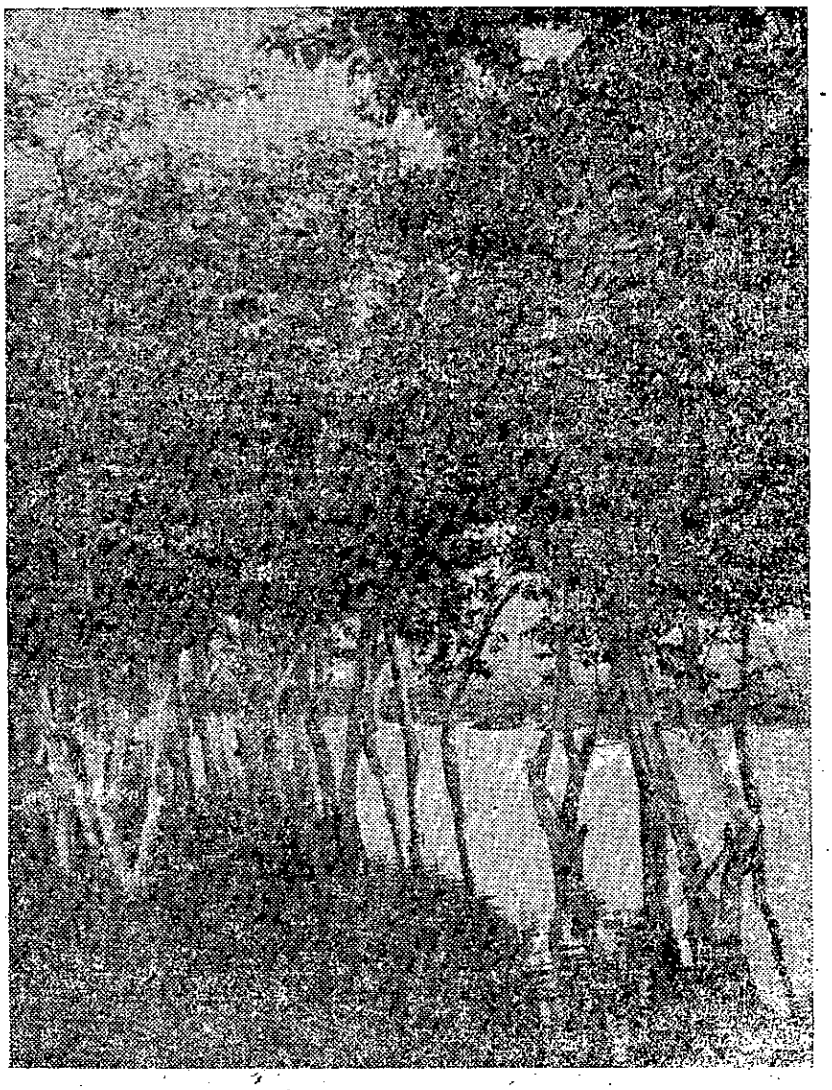

टसर रेशम उत्पादन के लिए तैयार पेड़

छीपों की उद्यमी स्त्रियां

छीपों की औरतें भी बहुत उद्यमी होती हैं। वे पुरुषों के सारे काम में हाथ बंटाती हैं। एक चूनड़ को लगभग एक सप्ताह में पूरी कर देती हैं। चूनड़ के लिए छोटो-छोटो गांठे डालो जाती हैं। घर-घर में औरते नंग बांधती हैं जिसे चूनड़ में गांठे बांधना कहा जाता है। यह भी एक कला है। नंगों के बांधने के भी कई प्रकार हैं जैसे तोता बांध, चांद बांध, चड़ी फूल, मोती कोट और बन्दागल आदि। नंगों को बंधाई और छपाई करने वाले छीपों को, काम करने वाले मजदूरों को, व्यापारी या हैसियत वाले लोग ढ़ेढ़ रुपया प्रति मीटर छपाई के तथा पच्चीस पैसा मीटर धोने व सुखाने के देते हैं। इस गृह उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग लगे हुए हैं और रेजा बनाई के काम में 70 से 80 कुटुम्ब। यद्यपि यह काम ज्यादा कमाई का नहीं है। फिर भी स्थानीय मांग है, लोगों में यहां की छपाई के प्रति लगाव है। अतएव लोग हाट बाजारों में एवं बड़े कपड़े व्यवसायिकों को अपने हाथ का कपड़ा बेच देते हैं। यह अधिकतर उनके दिए गए कपड़ों पर रंगाई-छपाई का काम करते हैं। □

जिला जनसम्पर्क अधिकारी
चितौड़ गढ़

मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में अग्रणी

सुनील चतुर्वेदी

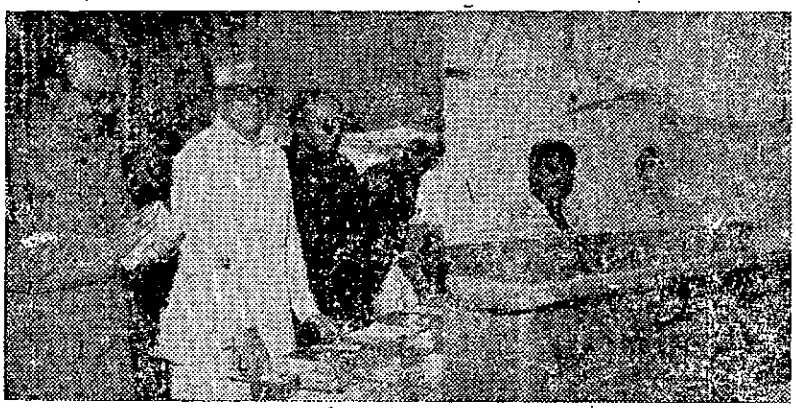

देश के सबसे बड़े सौर-ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उप-राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमण

विश्व आज भावी ऊर्जा संकट से भयग्रस्त है। परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों पर अब और भार डालना खतरनाक ही नहीं आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है। इसी भय से मुक्ति प्राप्ति के लिए विश्व में ऊर्जा के नए-नए स्रोतों की खोज प्रारम्भ हुई। भारत वर्ष के मध्य भाग में स्थित विशाल मध्य प्रदेश ने भी ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश व विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम को स्थापित हुए अभी केवल दो वर्ष ही हुए हैं किन्तु इस अल्पावधि में इसने सौर ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति कर ली है।

देश की सबसे बड़ी योजना

मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के संयंत्रों के लिए 15 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं जिन पर 45 लाख 19 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इन्हीं में से एक और देश के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन गत 23 सितम्बर, 1984 को भारत के उप राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमण ने भोपाल में किया है। भोपाल दूध डेयरी में लगे इन दो संयंत्रों में से एक 60° सेल्सियस तक 60 हजार लिटर पानी गरम करता है और दूसरा 85° सेल्सियस तक 24 हजार लिटर पानी गर्म करता है। इस अवसर पर उप राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश तकनीकी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उप-राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस दिशा में सुनियोजित अनुसंधान की आवश्यकता है। आज यदि सौर ऊर्जा से पानी 85° सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि आगे अनुसंधान कर इस ऊर्जा का उपयोग बड़े उद्योगों को चलाने में न किया जा सके।

उप राष्ट्रपति जी ने आगे कहा कि भारत की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, उसके जीवन स्तर में केवल खेती से सुधार लाना संभव नहीं अतः इनमें से 20 प्रतिशत लोगों को उद्योग धंधों में तथा अन्य क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता है। इस ओर जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। आपने अन्त में कहा कि भारत में सौर ऊर्जा विकास की काफी संभावनाएं है। यदि इसका सही दोहन किया गया तो इससे न सिर्फ पेट्रोल का आयात कम होगा बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। हमारे गांव विकास के लिए छटपटा रहे हैं। और बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं है। अतः सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण विकास के कार्य में किया जाना जरूरी है।

भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा साधन विभाग के सचिव श्री महेश्वरदयाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों के कारण 300 टन फनेस आयल की बचत हो रही है जो बिजली की 20 लाख यूनिट के बराबर है। देश में आज सौर

ऊर्जा प्रणालियों से प्रति वर्ष चार करोड़ यूनिट ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आपने बताया कि इस साल के अन्त तक पांच हजार गांवों में पांच लाख विकसित सौर ऊर्जा चूल्हे लगाने का कार्यक्रम है जिनमें से अभी 4500 गांवों में चूल्हे लगाए जा चुके हैं। इन चूल्हों के उपयोग से प्रति वर्ष 4.2 लाख टन ईंधन की बचत होगी जो बिजली के 108 करोड़ यूनिट के बराबर है।

भोपाल डेयरी में लगाने गए संयंत्र से 4 लाख रुपये मूल्य के फर्नेस आयल की बचत होगी। राज्य में 26.14 लाख रुपये लागत की 27 परियोजनाएं लगाई जा रही हैं।

अन्य संयंत्र

मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग पार्षद ने ग्वालियर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है जो प्रतिदिन 50 किलोग्राम ऊन सुखाता है। इसके अलावा प्रति घंटे एक टन धान सुखाने वाला एक संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के रायपुर स्थित चावल मिल में लगाया जा रहा है।

सौर आसवनियां

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने पांच-पांच सौर आसवनियां मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को दी है जिनसे बेटरियों में भरा जाने वाला आसवित जल मिलेगा।

भारत सरकार ने प्रदेश के शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालयों में ऐसी 126 सौर आसवनियां लगाने की मंजूरी दी है और मध्य प्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा संस्थानों में 50 सौर आसवनियां लगाने का प्रस्ताव है। इटारसी में नर्मदा कुंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड में सौर भट्टी लगाई गई है जो लकड़ी पकाने के काम आती है।

देवास जिले के चापड़ा स्थित दूध ठंडा करने के केन्द्र में लगने वाला रोज 5000 लिटर दूध ठंडा करने वाला सौर शीतल संयंत्र और भी दिलचस्प होगा। भोपाल में सौर ऊर्जा से काम करने वाले फलों और सब्जियों के शीतगृह और रीवा सम्भाग में बर्फ कारखाना भी प्रस्तावित है।

सौर ऊर्जा से रोशनी

केन्द्र सरकार ने ऐसे सात गांवों में सड़क बत्ती लगाने की स्वीकृति दी है

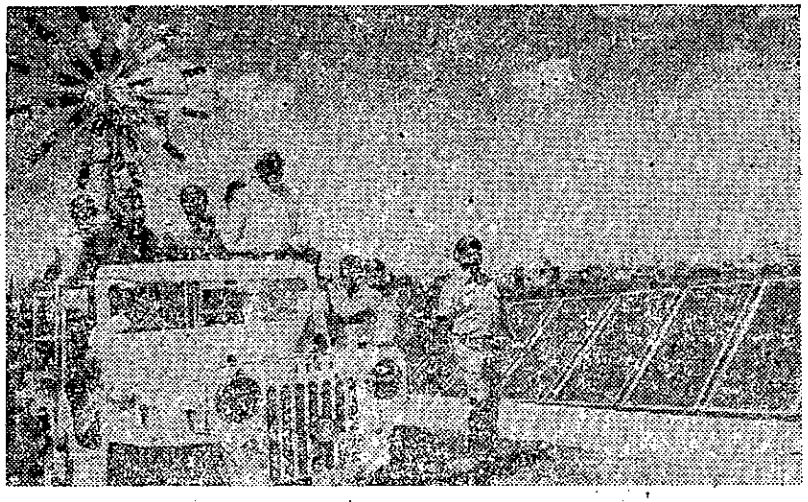

देश के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण करते हुए उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमण

जो बिजली की मौजूदा पारेषण लाइनों से दूर हैं। ऐसे प्रत्येक गांव में आठ ट्यूब-लाइटें लगेंगी जिन्हें धूप से बिजली पैदा करने वाले सैलों से बिजली मिलेगी। ऐसे 16 और गांवों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

सौर कुकर

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने 300 सौर कुकर भी 250 रुपये की रियायती दर पर अब तक बेचे हैं। यह कुकर की केवल आधी कीमत है। बाकी की आधी कीमत केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। ये कुकर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और निगम को इस वर्ष करीब 5,000 कुकर बिकने की आशा है।

सभी आदिवासी छात्रावासों और अन्य संस्थाओं में सामुदायिक सौर कुकर प्रदान करने की भी योजना है।

जैविक ईंधन

इस वर्ष जुलाई में भोपाल के जर्सी पशु प्रजनन केन्द्र में प्रतिदिन 85 घन मीटर गैस पैदा करने वाला पहला सामुदायिक जैविक गैस संयंत्र लगाया गया है जो कुट्टी काटने की मशीन चलाने के अलावा फार्म पर रहने वाले 44 परिवारों को खाना पकाने के लिए पाइपों के जरिए इंधन भी देता है।

जबलपुर जिले की कटनी तहसील में बम्होरी नामक स्थान पर और बड़ा, 240 घन मीटर क्षमता वाला, संयंत्र भी लगभग पूरा होने वाला है। पूरा होने पर यह पीने के पानी के पम्प चलाने, सड़क बत्ती जलाने के अलावा, 135 परिवारों को खाना पकाने की गैस की भी पूर्ति करेगा। एक और 275 घनमीटर क्षमता वाला संयंत्र सीधी जिले के सांडा गांव में लगाया जाना है।

शराब की आसवनी से निकलने वाले कूड़े और मल से जैविक ईंधन बनाने की भी निगम की योजना है। लकड़ी और कृषि के कूड़े से ज्वलनशील गैस निकालने की भी योजना है।

बस्तर के कोंडागांव और रायगढ़ जिले के पथलगांव में आरा मशीनें चलाने के लिए 40 किलोवाट के ऐसे ही संयंत्र लगाए जाएंगे। ये संयंत्र मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की आरा मशीनों से निकलने वाले बुरादे आदि का उपयोग करेंगे। बस्तर जिले में लकड़ी के ईंधन से बायलर चलाकर 3 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। □

14/8, परी बाजार,
शाहजहांनाबाद,
भोपाल-462001

अखाद्य तेल उद्योग और "नीम"

श्रीकान्त पाण्डे

अखाद्य तिलहनों का संग्रहण और उनसे तेल निकालना एक ऐसा उपयोगी विकल्प है, जिससे गांवों में बढ़ती बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति काफी हद तक संभल सकती है। हमारे 5,76,126 गांव इतने सक्षम हैं कि यदि वहीं उपलब्ध कच्चे माल के अनुरक्षण और उन्हें पक्का बनाने के प्रभावी प्रयास किए जाएं तो भयावह स्थिति (बेरोजगार) के कई सार्थक विकल्प खोजे जा सकते हैं।

अखाद्य तिलहनों का स्रोत नीम, महुआ, करंजा और कुसुम आदि हैं। इन अखाद्य तिलहनों में विकास की अपरिमित संभावनाएं हैं। योजना आयोग ने 1982–83 तक खाद्य तेलों की खपत का अनुमान 44 लाख टन लगाया था। उस समय खाद्य तेलों का उत्पादन 25 लाख टन के इर्द गिर्द था, जो हमारी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था और हमें हर वर्ष आयात करना पड़ता था। खाद्य तेलों की मुख्य कमी का कारण उपलब्ध तेल का काफी हिस्सा साबुन बनाने और दीगर औद्योगिक कार्यों में खर्च हो जाना बताया गया। अखाद्य तेलों से साबुन बनाने का श्रेय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को है।

हम सभी जानते हैं कि गांवों में आज भी गरीब महिलाएं नीम की निम्बौलियों को एकत्रित कर उनसे गूदा निकाल कर सुखाने के बाद तेल प्राप्त करती हैं। इस तेल का प्रयोग घर में दिया जलाकर रोशनी करने, जलाने, दवाओं और साबुन बनाने के काम में होता है। यह कार्य व्यक्ति और पारिवारिक-स्तर पर होता है। यदि इसे गांव के आधार पर विकसित किया जाए, तो गरीब परिवारों को एक अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है।

बढ़ते खाद्य तेलों के प्रयोग, औद्योगिक विकास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब भारत के प्रमुख वैज्ञानिक देश में अखाद्य तेलों के स्रोत का संवर्द्धन करने के विशेष पक्षधर हैं। अखाद्य तेलों से पेट्रोलियम खोजने का प्रयोग भी किया जा रहा है। क्योंकि इस देश में प्रतिदिन साढ़े तीन लाख बैरल तेल की खपत है। फलस्वरूप 1980 के वर्ष में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 50 अरब रुपये से अधिक व्यय होने का आंकलन था, जो हमारे कुल तत्कालीन निर्यात आय का 80 प्रतिशत बैठता था। अतः इस भार को हल्का और आर्थिक दबाव को कम करने की दिशा में नए कदम उठाने की जरूरत है। अखाद्य तेलों का एक महत्वपूर्ण स्रोत देश के 5,76,126 गांवों में लगभग डेढ़ करोड़ (घर घर के हकीम) नीम के वृक्ष हो सकते हैं।

हमारे देश में 1.40 करोड़ टन से अधिक तेल निकलता है। तीन-साढ़े तीन करोड़ टन की खपत को पूरा करने के लिए 1.60 करोड़ टन तेल आयात करने के विचार पर 1980-81 के वर्ष में 50 अरब रुपये खर्च करने का अनुमान था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे नीम वृक्ष के उन्नत बीजों का विकास कर तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुसंधान करें ताकि इसके द्वारा अखाद्य तेल का उत्पाद बढ़ाकर खाद्य तेलों को ऐसे प्रयोगों से बचाया जा सके जहां अखाद्य तेलों का उपयोग हो सकता है।

दरअसल, नीम भारत वर्ष का वह बहूपयोगी वृक्ष है, जिससे गांवों के छोटे बड़े सभी परिचित हैं। यह देश के प्रत्येक भाग (मुख्यतया उत्तर प्रदेश के 1,12,561, तमिलनाडु के 15,735, महाराष्ट्र के 35,778, गुजरात के 18,275, कर्नाटक के 26,826 राजस्थान के 33,305, मध्यप्रदेश के 70,883 तथा आंध्र प्रदेश के 27,221 गांवों) में बहुतायत पाए जाते हैं। अनन्तपुर तकनीकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार 1977–78 के वर्ष में तीन लाख टन नीम की निम्बोलियों का संग्रह किया गया, जबकि निम्बोलियों का कुल अनुमान 20 लाख टन के करीब था। संस्थान के अनुसार देश में नीम तेल की उपलब्धि 30,000 टन के आसपास थी। तेल के अलावा 50 लाख टन खली भी मिली। देश में अखाद्य तिलहनों की अनुमानित सम्पूर्ण सम्पत्ति में नीम का हिस्सा आधा था और इससे 28 करोड़ रुपये की कीमत से अधिक का 21 लाख टन तेल प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए जैविक खाद के रूप में 4 लाख टन खली अलग से हो सकती है। नीम की खली को धान के खेत में इस्तेमाल करने से 25 से 50 प्रतिशत यूरिया खाद की बचत संभव हो सकता है तथा खली के उपयोग से धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ने के साथ फसल की उपज में वृद्धि अवश्यम्भावी है। इसके उत्पादन के प्रोटीन तत्व और भी समृद्ध होते हैं।

शाखा–प्रशाखाओं से युक्त नीम का घना वृक्ष कितना सुहावना लगता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। नीम की शीतल छाया कितनी सुखद और तृप्तिकर, लकड़ी मकान बनवाने के काम में कितनी मजबूत और टिकाऊ होती है यह सभी दस करोड़ ग्रामीण परिवारों के लोग जानते हैं। यद्यपि नीम का अंग प्रत्यंग कटु होता है, परन्तु इसकी कटुता में गुणों की वह मिठास निहित है, जिसके लिए भारत में बसे सभी व्यक्तियों पर नीम का अपरिमित आभार है।

उर्दू की एक लोक प्रचलित कहावत है–"नीम हकीम" जो कि अधकचरे वैद्य हकीमों के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि "नीम" का अर्थ फारसी में "आधा" होता है। मगर, यदि नीम के वृक्ष को ही नीम हकीम कहा जाए, तो कोई अतिश्योक्ति न होगी, चूंकि अकेला नीम सैकड़ों रोगों का इलाज है। नीम में वह कीटाणु नाशक शक्ति है कि यदि निरन्तर नीम की छाया में शयन किया जाए, तो सहसा कोई रोग दबोचने का कुसाहस नहीं कर सकता। अलबत्ता सायंकाल नीम के नीचे शयन करने का निषेध है। नीम की छाया के संदर्भ में रोग निवारण विषयक कई जन श्रुतियां हैं।

वर्ष 1935 में महात्मा गांधी ने नीम की पत्तियां खाकर, उसके गुणावगुण जानने का प्रयोग किया था और उसके सेवन से तमाम लाभ बताए तथा कहा कि नीम के सेवन से किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं की जा सकती। इसी सम्बन्ध में दुनिया के सबसे बड़े, अहिंसक क्रान्तिकारी नेता, गांधी जी ने कुनूर के न्यूट्रीशन रिसर्च डाइरेक्टर, इक्राइड के पास नीम की पत्तियों के बारे में कुछ सवाल भेजे थे, जिसके जवाब में उनके निदेशक महोदय ने लिखा "हमने अपनी प्रयोग शाला में नीम की पत्तियों का विश्लेषण किया है। पहले जिन हरी पत्तियों का विश्लेषण किया गया उनके मुकाबले में कोमल पत्तियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद हैं। पकी हुई पत्तियां और कोपलों दोनों में ही प्रोटीन, कैलसियम, लोहा और विटामिन "ए" पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इस नजरिए से नीम की पत्तियां चौलाई, धनिया, पालक और दूसरी कई भाजियों से श्रेष्ठ हैं।"

वसन्त ऋतु में नीम में पतझड़ होता है और नए पत्ते निकलते हैं। चैत में नीम फूलती है और ज्येष्ठ-आषाढ़ में नीम के फल पकते हैं। चैत माह में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन बहुत गुणकारी होता है। एक स्वास्थ्य सम्बन्धी कहावत में बताया गया है कि किस माह में किस वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस में भी चैत्र मास में नीम की कोपलें खाने का निर्देश दिया गया है:–

"सावन हरे भादों चीत क्वार मास गुड़ खायों मीत।
कातिक मूरी अगहन तेल पूस में करे दूध से मेल॥
माघ मास घिव-खिचरी खाय। फागुन उठके प्रातः नहाय॥
चैत मास में नीम बेसहरी। बैसाखै मा खाय जड़हनी॥
जेठ मास जो दिन को सोवे। बोकर ज्वर असाढ़ मा रोवे।"

दन्तरक्षा के लिए, जिस पर बहुत कुछ स्वास्थ्य संवर्धन निर्भर है, नीम की दातून की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति जानता है :–

"नीम दतूनी जे करें, भूनी हर्र चबाय।
दूर बिमारी नित करें, तिन घर बैद्य न जाय॥"

आयुर्वेद के अनुसार नीम कटु, शीतल, व्रण, वमन, कृमि सूजन का नाश करने वाली, चित्त दोष और हृदय के दाह को शान्त करने वाला है। वात, कुष्ठ विष, खांसी, ज्वर, अरुचि, रुधिर दोष, प्रमेह को दूर करने वाला और केशों के लिए हितकारी है।

किसी-किसी नीम के पेड़ से एक प्रकार का फेन दार पानी, जिसे नीम का मद अथवा निम्बजल कहते हैं, गिरने लगता है। यह रक्तशोधक और अत्यन्त गुणकारी होता है।

नीम का अंग प्रत्यंग–पत्तियां, छाल लकड़ी, फूल, फल उपयोगी और औषधयुक्त होता है। ये विभिन्न 100 प्रकार के रोगों में विविध तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं और बड़े लाभकारी सिद्ध हुए हैं।

नीम के अखाद्य तेल का सम्भावित उपयोग तथा लाभ इस प्रकार हो सकता है :–

(1) साबुन 4.0 लाख टन

(2) अन्य औद्योगिक उत्पादन–लुब्रीकेंट पेन्ट, वार्निश– 5.0 लाख टन। इस के अलावा नीम की गुठलियों से कई तरह की खाद्य वस्तुएं जिनके बारे में कहा गया है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तैयार की जा सकती हैं। मुर्गियों के चारे के लिए नीम की गुठलियों को अधिक उपयोगी बताया गया है। औषधि और पेस्टीसाइड बनाने में भी नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम-तेल साबुन तो बहुत ही उपयोगी है।

"घर-घर का हकीम –"नीम" वृक्ष का संरक्षण अति आवश्यक है। उसके उत्पादों का उपयोग एक ऐसा बहुआयामी है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुखद भविष्य की काफी संभावनाएं छिपी हैं। आवश्यकता है सक्रिय कदम उठाने की। □

गन्ना भवन, उत्तर प्रदेश,
2–माल एवेन्यू,
लखनऊ–226001

ग्रामीण विकास की कुंजी प्रौढ़ शिक्षा

शूकर पालन को उद्योग स्वरूप अपनाएं

यह एक उपयोगी व्यवसाय है

श्रीमती साधना गर्ग

अगर नितान्त व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाय तो शूकर पालन अति लाभकारी धंधा है। यहां तक कि यह मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधु मक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि से भी कहीं अधिक धन अर्जन करने का स्रोत है। भारत जैसे जनसंख्या बहुल तथा कुपोषण ग्रसित देश में तो शूकर पालन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में शूकर पालन काफी समय से केवल निम्न जातियों तक ही सीमित रहा है। दुर्भाग्य से धार्मिक पाबन्दी पूर्वाग्रह इसके विकास में बाधक रहे हैं। भारत में कुछ समय पूर्व तक मुर्गीपालन को भी हेय दृष्टि से देखा जाता रहा था लेकिन अब धीरे-धीरे काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। धीरे-धीरे शूकर पालन भी लोकप्रिय होता जा रहा है और धार्मिक पाबन्दी तथा अंधविश्वास हटते जा रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि 'शूकर पालन' आने वाले समय में लोकप्रिय न हो पाए।

खाद्यान्न में उत्पादन वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं और इसलिए ऐसे विकल्प खाद्य (आहार) की खोज स्वाभाविक है जो न केवल पोषण की दृष्टि से सुसम्पन्न हो अपितु व्यक्तियों के लिए आय का अच्छा साधन भी हो। शूकर पालन इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए समर्थ है क्योंकि शायद ही ऐसा कोई जानवर हो जो प्रजनन की इतनी विशाल क्षमता रखता हो जितना शूकर। आवश्यकता इसको अपनाने की है।

भारत में लगभग .65 लाख शूकर हैं जिनमें से अधिकांश काले या जंगली हैं। भारत में मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों की निम्न वर्ग की जनसंख्या शूकर पालन करती है। बिहार में छोटा नागपुर के विस्तृत पहाड़ी इलाके में पिछड़े लोगों तथा आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या निवास करती है जिनका मुख्य पेशा मुर्गी तथा शूकर पालन है। एक अनुमान के अनुसार भारत में शूकर की कुल जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग यहीं पाया जाता है और यही कारण है कि राज्य सरकार शूकर विकास योजना तैयार कर रही है। कोके, होतवार, गौरीकर्म तथा जमशेदपुर में शूकर कृषि इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन केन्द्रों में लगभग 1200 प्रजनन शूकरी हैं, जो 10,300 शूकर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता रखते हैं। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की योजना चल रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों में भी शूकर पालन को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा इसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

भारत में शूकर पालन के विकास की अपरिमित सम्भावनाएं हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इसे व्यावसायिक स्तर पर स्वीकार करने की चूंकि शूकरों के लिए बड़े चरागाह स्थलों की आवश्यकता है अतः उन्हें पहाड़ी तथा तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन शील भू-भागों में स्थानीय उपलब्ध खाद्य पर पाला जा सकता है। आधुनिक शूकर फार्म स्थापित करने के लिए भी अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में अनेक अपशेष पदार्थों के पुनः प्रयोग द्वारा उन्हें सस्ता तथा पोषक आहार उपलब्ध कराया जा सकता है। चूंकि मादा शूकर में प्रजनन क्षमता अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसके लिए आहार की आवश्यकता भी अधिक होती है, जिसे सस्ते तथा संतुलित आहार द्वारा पूरा किया जा सकता है। मादा शूकर की खाद्य आवश्यकताएं भी बढ़ती-घटती रहती हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। शूकर की आमाशय क्षमता अधिक नहीं होती अतः उन्हें सस्ते तथा सुपाच्य आहार द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं की भूसी, पीली मक्का, मछली, शीरा, खनिज मिश्रण, घोंघे वाली मछली, नमक, हीरा कसीस आदि उनके लिए उपयोगी आहार सम्मिश्रण बन सकता है। अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि अफ्रीकी घोंघा जो फसलों के लिए एक विभिषिका (मुख्यतः केरल में) है, उसका शूकरों के खाद्य के लिए अच्छा उपयोग किया जा सकता है। केरल

कृषि विश्व विद्यालय ने शूकरों के लिए इस खाद्य को बहुत उपयोगी बताया है और राज्य में शूकर विकास कार्यक्रम में इसे शूकर खाद्य के रूप में पर्याप्त स्थान दिया गया है।

जहां तक आधुनिक शूकर फार्म का सम्बन्ध है शूकरों के लिए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्मित आश्रय स्थल होना आवश्यक है, जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा बनाया जा सकता है। अधिक भीड़-भाड़ (जबरदस्ती ठूसना) अधिक गर्म या अधिक सर्द वातावरण आदि को यथा सम्भव नहीं होने देना चाहिए। आम तौर पर एक विकसित शूकर के लिए 8 से 10 वर्गफुट स्थान की आवश्यक होती है। उनके मलमूत्र के लिए आश्रय स्थल से दूर कोई गड्ढा होना चाहिए। उनके आश्रय स्थल पर पर्याप्त स्वच्छता का होना भी अत्यावश्यक है, ताकि उनमें आपस में तथा अन्य पशुओं एवं अन्य परिवार जनों में संक्रामक बीमारियां न फैलने पाएं। शूकर पालन में जिसे अक्सर भुला दिया जाता है वह है शूकरों का उपयुक्त आवास स्थल तथा स्वास्थ्यकर वातावरण। अगर शूकरों के मलमूत्र निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है या उनके आवास स्थल को साफ नहीं रखा जाता तो यह न केवल शूकर के लिए अपितु अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है।

भारत में कुछ वर्गों के कृषि हीन व्यक्तियों के लिए शूकर पालन आय का अच्छा साधन बन सकता है। एक अनुमान के अनुसार 10 शूकरी तथा 2 शूकर के लिए एक आवास स्थल सहित कुल प्रारम्भिक व्यय लगभग 10,000 रुपये बैठते हैं, जिससे 2 वर्ष बाद 40,000 रुपये न्यूनतम वार्षिक आय हो सकती है। शूकर पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि अनेक वनस्पति अपशेष पदार्थों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए शूकर पालन से अच्छा अन्य कोई कार्य नहीं है। फफूंद ग्रस्त खाद्यान, खाने की बची हुई चीजें, बेकार अपशेष, छटे हुए आलू तथा फल आदि वस्तुएं बड़ी मात्रा में बेकार फैंक दी जाती हैं जो शूकर का सुरुचिपूर्ण तथा पौष्टिक आहार बन जाता है।

हमारी राष्ट्रीय नीति प्रोटीन जनित कुपोषण की शिकार जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा तथा ग्रामीण जनता को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शूकर पालन निश्चित रूप से इस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है। आवश्यकता इस बात की है कि शूकर पालन को व्यापक व्यापारिक स्तर पर स्वीकार किया जाए जैसा कि आज अमरीका, आस्ट्रेलिया, रूस, चीन, पोलैन्ड आदि देशों में है। भारत में शूकरों की सभी विदेशी किस्में (यथा यार्वशायर, लैन्डेस, हैम्प शायर आदि) भले ही लोकप्रिय न हों किन्तु इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियों को देखते हुए मिश्रित किस्मों का विकास किया जा सकता है। इसके लिए संकरण आवश्यक है जिसके द्वारा कुछ नई किस्में विकसित हो सकेंगी। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है तथा शूकर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए विपणन सम्बंधी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। □

आर-23, सिविल लाइन्स,
भरतपुर-321001

वनग्रामों का विकास

देश में लगभग 5,000 वन ग्राम हैं। इन गांवों में जनजातियों के लगभग दो लाख परिवार रहते हैं।

इन जंगलों में रहने वालों के लाभ के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ वन प्रान्तर कार्यक्रमों का प्रस्ताव है।

एक योजना के अन्तर्गत गांवों के समानान्तर वन ग्रामों के विकास का कार्यक्रम रखा गया है।

जंगलों तथा उसके पास के क्षेत्रों में जन जातीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। जन जातियों को शोषण करने वाले बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए जन जातीय मजदूर सहकारी समितियां तथा अन्य संस्थाएं गठित की जाएंगी जो इन गांवों के जरूरतमन्द लोगों को ऋण एवं आर्थिक सुविधाएं प्रदान करेंगी।

इस कार्यक्रम के पूरक के रूप में छोटे-मोटे वन उत्पादों के भण्डार के संरक्षण, संपोषण तथा उनके अधिकतम उपयोग की प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी। इन उत्पादों की बिक्री के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।

वन ग्रामों के लिए घरेलू ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जुटाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे मौजूदा वनों पर दबाव कम किया जा सके तथा बाद में उन पर पड़े इस बोझ को समाप्त किया जा सके। □

ग्रामीण आवास प्रबंध एवं विधि

सुरेश जैन

आवास प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। अनेक भूमिहीन कृषि श्रमिक आज भी किसी भूमिस्वामी के स्वामित्व की भूमि पर अपनी कुटिया या झोंपड़ी बनाकर निवास करते हैं। भूमिस्वामी द्वारा थोड़ी सी अप्रसन्नता होने पर कृषि श्रमिक की कुटिया या झोंपड़ी अपनी भूमि से हटा दी जाती है। इस प्रकार के कृषिश्रमिकों को सदैव भूमिस्वामी की भूमि पर से हटाए जाने का भय बना रहता है। इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने अक्तूबर, 1971 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमिहीन कृषि श्रमिकों को आवास हेतु निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की। इस योजना के अन्तर्गत भूमि के अर्जन एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई कि शासन द्वारा आबंटित भूखण्ड पर भूमिहीन कृषि श्रमिक अपनी आय के स्रोतों से छोटा सा आवास गृह अथवा कुटीर का निर्माण करेंगे तथा उसमें निश्चिन्त होकर निवास करेंगे। यह योजना वर्ष 1971 में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रारम्भ की गई। प्रथम अप्रैल, 1974 से यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई तथा इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग बनाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 1975 में घोषित बीस सूत्रीय कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया। बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र क्रमांक तीन में भूमिहीनों और गरीब जनता को मकान बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की गई। वर्ष 1976 से इस योजना का लाभ भूमिहीन श्रमिकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले शिल्पी, बढ़ई, मछुआ एवं लुहार आदि को दिया गया है। 14 जनवरी, 1982 को प्रधानमंत्री द्वारा नया बीस सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के सूत्र क्रमांक 9 में यह घोषणा की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको इसके लिए जमीन दी जाए।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना

मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1972 में विस्तृत सर्वेक्षण कर 9.13 लाख परिवार आवास विहीन पाए गए। इन व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराने तथा इन भूखण्डों पर आवासगृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का विशाल कार्यक्रम हाथ में लिया गया। आवासगृहों के निर्माण हेतु उन्हें वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत आवासगृह बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रत्येक आबंटी को 18 बल्ली एवं 50 बांस केवल 10 रुपये कटाई व्यय जमा करने पर तथा शासकीय खदानों से निःशुल्क मिट्टी, रेत एवं पत्थर की सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता के रूप में पहले 500 रुपये थे, अब 1,500 रुपये का अनुदान प्रत्येक आवास-हीन व्यक्ति को दिया जाता है। परिवार में यदि कोई व्यस्क पुत्र है तो उसे भी अतिरिक्त भूखण्ड दिया जाता है। साथ ही बंटित भूखण्ड से यदि कुछ लगी हुई भूमि उपलब्ध हो तो 20×30 वर्ग फीट तक का अतिरिक्त भूखण्ड बाड़ी के लिए दिया जाता है। एक नवम्बर, 1981 में मध्य प्रदेश ने अपने निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण कर जनहित में विभिन्न रजत जयन्ती कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 1981–82 में ग्रामीण आवास योजना को गति देने के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाएं—रजत जयन्ती कुटीर योजना एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण कुटीर योजना

पहले से चल रही ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में रजत जयन्ती कुटीर योजना के अन्तर्गत ही किया जाने लगा। राजस्व विभाग द्वारा इन भूखण्डों पर आवासगृहों के निर्माण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये धनराशि दी जाती थी। यह अनुभव किया गया कि 500 रुपये की राशि से आवासगृह का निर्माण संभव न होने से प्रायः आवासगृह निर्माण नहीं हो पाते और राशि का दुरुपयोग हो जाता है। योजना को सफल बनाने के लिए वास्तविकता के आधार पर समुचित सहायता देना आवश्यक है। इस दृष्टि से शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने पुनर्विचार कर वर्ष 1981–82 में यह निर्णय लिया कि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भूखण्डधारियों को इस योजना के अन्तर्गत 1,500 रुपये प्रति कुटीर की दर से अनुदान दिया जाए तथा पूर्ववत वन विभाग द्वारा 18 बल्ली व 50 बांस निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।

सहकारी बैंक कुटीर योजना

मध्य प्रदेश राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण आवास निर्माण की अभिनव योजना वर्ष 1981–82 में प्रारम्भ की गयी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को 1,000 रुपये का अनुदान, 1,000 रुपये बैंक ऋण तथा 2,000 रुपये हुडकों का ऋण, इस प्रकार मकान निर्माण हेतु कुल व्यय 4,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान की राशि शासन द्वारा दी जाती है। यह योजना विभिन्न जिलों में स्थित जिला सहकारी अधिकोष तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कियान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों को ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है।

गृह निर्माण मंडल की योजना

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आवास निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां संचालित किए जाने की व्यवस्था है परन्तु इसके द्वारा प्रमुखतः नगरीय क्षेत्रों में ही कार्य किया गया है। अतः ग्रामीण आवास में वांछित प्रगति नहीं आ पा रही थी। परिणामतः ग्रामीण आवास के कार्यक्रमों को गति देने के लिए प्रदेश स्तर पर एक नाभिकीय संस्था, मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास मंडल का गठन किया गया।

ग्रामीण आवास योजना का प्रबन्ध

नवम्बर, 1981 के पूर्व ग्रामीण आवास योजना का प्रशासन एवं प्रबन्ध राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता था। राज्य शासन ने अपने कार्य आबंटन नियमों में संशोधन कर दिनांक 18 नवम्बर 1981 से यह विषय आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंप दिया। इस विभाग के अधीन नगर एवं ग्रामीण नियोजन संचालनालय द्वारा ग्रामों के समुचित विकास हेतु भूमि का समुचित उपयोग निर्धारित किया जाता है तथा आवास योजनाओं का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन किया जाता है।

गृह निर्माण एवं ग्रामीण आवास मंडल

आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आवास योजनाओं का कार्यान्वयन तीव्र गति से तथा सुनिश्चित ढंग से करने एवं इन योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास मंडल का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 की धारा 4–क के अन्तर्गत मई 1982 से इस मंडल की स्थापना की गयी है।

खण्ड स्तरीय बीस सूत्रीय समितियां

राज्य शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की देख रेख में लोक अभिकरणों के माध्यम से सम्पादन हेतु बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 एवं 246 के अन्तर्गत भूखण्ड आबंटित किए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश ग्रामीण दखल रहित भूमि (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत ऐसी शासकीय दखलरहित भूमि, जिसका ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा गृह स्थल के रूप में उपयोग कर लिया गया है, से संबंधित व्यक्ति को भूमिस्वामित्व अधिकार दे दिए जाते हैं।

संभागीय आयुक्त एवं जिला अध्यक्ष

संभागीय स्तर पर आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) के निर्देशन में ग्रामीण आवास योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। तहसीलदार, विकास खण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के अभियंत्रियों द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा हुडकों से ऋण तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर सीमान्त कृषकों के लिए ग्रामीण आवास योजना जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

वैधानिक प्रावधान

ग्रामीण आवास के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में प्रमुखतः निम्नांकित अधिनियमों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं :—

(1) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959)

(2) मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध अधिनियम, 1980 (क्रमांक 13 सन् 1980)

(3) मध्य प्रदेश के ग्रामों में दखल-रहित भूमि (विशेष उपबन्ध) से संबद्ध अधिनियम 1970 (क्रमांक 26 सन् 1970)

(4) मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 (क्र० 4 सन् 1980)

(5) मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973)

(6) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

ग्रामीण आवास के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 244 एवं 246 में वर्णित प्रावधान महत्व पूर्ण हैं। धारा 244 में आबादी स्थलों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं कि इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए पंचायत या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गयी हो, वहां तहसीलदार आबादी क्षेत्र में के स्थलों का निपटारा करेगा। इस अधिनियम की धारा 2(1) क में "आबादी" की व्याख्या की गई "आबादी" से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उससे

संबद्ध प्रयोजनों के लिए समय-समय पर आरक्षित क्षेत्र। इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानिक पर्याय, जैसे "ग्राम स्थल या गांव स्थान" का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 2(य–4) में ग्रामीण क्षेत्र अर्थात् नगरेतर क्षेत्र की व्याख्या की गई है। "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जो नगर पालिकाओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगर पालिका, निगम की या किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है। अभिव्यक्ति "नगरेतर क्षेत्र" का तदनुसार ही अर्थ लगाया जाएगा।

इस अधिनियम की धारा 246 में आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 244 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय आबादी में गृह-स्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि का भूस्वामी होगा।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1973 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह स्थल का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा। :—

(1) कि आबंटी आबंटन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा।

(2) कि आबंटी आबंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का, जो कि उसे आबंटित की गई हो, या उसमें अपने हित का अन्तरण नहीं करेगा।

(3) कि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने की दशा में यह भूमि भंग की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजन के लिए "ग्रामीण आवास विकास योजना" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में गृह स्थलों की व्यवस्था के हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कर्मकारों के कुटुम्बों के लिए, जिनके कि स्वामित्व में पहले से कोई गृह स्थल न हो या जिनके स्वामित्व में पहले से ही उसका अपनी स्वयं की भूमि पर कोई निर्मित गृह या कोई झोंपड़ी ना हो, निःशुल्क गृह स्थलों की व्यवस्था भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर की जानी है।

मध्य प्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध अधिनियम 1980

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रभावी एवं त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया। इन समितियों में शासकीय तथा अशासकीय सदस्य थे। इन समितियों को कोई वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। अतः उनके लिए यह संभव नहीं था कि वे विधि के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकें। इस दृष्टि से "मध्य प्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) बनाया गया। यह अधिनियम वर्ष 1977 में निरसित कर दिया गया। इसके पश्चात पुनः मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध अधिनियम, 1980 (क्रमांक 13 सन् 1980) अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन नवीन बीस सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन (संशोधन) से संबद्ध अधिनियम 1982 (क्रमांक 16 सन् 1982) द्वारा व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधी संशोधन अध्यादेश 1982 (क्रमांक 21 सन् 1982) जारी हुआ जिसे मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबद्ध संशोधन अधिनियम 1983 (क्रमांक 2 सन् 1983) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसके द्वारा विद्यमान राजस्व निरीक्षक वृत्तस्तरीय समितियों के स्थान पर खण्ड स्तरीय समितियां स्थापित की गई हैं।

खण्ड स्तरीय समितियों को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 एवं 246 के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास-विकास योजना के अधीन भूखण्ड आबंटन की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इन समितियों को मध्य प्रदेश के ग्रामों की दखलरहित भूमि विशेष उपबन्ध, से संबद्ध अधिनियम, 1970 (क्रमांक 26 सन् 1970) में तहलसीदार को प्रदत्त शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये समितियां ऐसी दखलरहित भूमि, जिस पर ग्राम के निवासियों ने 23 जून, 1980 के पूर्व आवास गृह का निर्माण कर लिया है, उन व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्त कर सकती हैं।

मध्य प्रदेश ग्रामों में दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1970

हाल में गांवों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप आबादी के लिए भूमि की आवश्यकता कई गुनी बढ़ गई है। यह संभव नहीं हो पाया है कि ग्रामों के प्रत्येक निवासी के लिए उस ग्राम की आबादी में गृह स्थलों का प्रबन्ध किया जा सके। आबादी में गृह स्थलों की कमी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वैकल्पिक स्थलों की तलाश की जाए। ग्राम के निवासियों ने ग्राम की दखलरहित भूमि का गृहस्थल के रूप में उपयोग कर लिया है। चूंकि ऐसे निवासियों को, उन्हें वैकल्पिक वास सुविधा दिए बिना बेदखल कर देने से उन्हें अनावश्यक

कष्ट होगा और उससे ग्राम विकास की गति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी संभावना है, अतः वांछनीय समझा गया कि इस प्रकार दखल में ली गयी दखलरहित भूमि सभी संभव मामलों को बन्दोबस्त अधीन कर दिया जाए। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश के ग्रामों की दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध अध्यादेश से संबद्ध 1970) (क्रमांक 4 सन् 1970) प्रतिस्थापित किया गया। इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश में ग्रामों की दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) से संबद्ध अधिनियम 1970 (क्रमांक 26 सन् 1970) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस अधिनियम में मध्य प्रदेश के ग्रामों में की दखलरहित भूमि (संशोधन) से संबद्ध अधिनियम 1974 (क्रमांक 4 सन् 1974) जिसे म० प्र० ग्रामों में दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश 1980 (क्रमांक 1 सन् 1980) द्वारा संशोधित किया गया जिसे मध्य प्रदेश में ग्रामों को दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) से संबद्ध संशोधन अधिनियम 1980 (क्रमांक 1 सन् 1980) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि "किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमियां, जिन पर ऐसे ग्राम के निवासियों ने, 23 जून 1980 के पूर्व, निवास के प्रयोजन के लिए या उससे संबद्ध प्रयोजनों के लिए किसी भवन का निर्माण कर लिया हो और ऐसा भवन उस तारीख को विद्यमान हो तो कोड़ या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वह भूमि निवासियों को भूमि स्वामी अधिकारों के साथ आबंटित कर भूमि बन्दोबस्त में शामिल किया जाएगा। दखलरहित भूमि से अभिप्रेत है किसी ग्राम में ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से, या किसी भूमिस्वामी कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है।

यह प्रावधान नगर पालिका निगम की सीमाओं से 16 किलोमीटर परिधि में स्थित, नगर पालिकाओं की सीमाओं से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित, नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से 3 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में स्थित एवं राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य के राजपथों के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि पर लागू नहीं होते हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धारित भूमि पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

संबंधित व्यक्ति के साथ भूमि बन्दोबस्त करने की शक्तियां इस अधिनियम में तहसीलदार को प्राप्त है किन्तु मध्य प्रदेश में लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबद्ध अधिनियम 1980 द्वारा ये शक्तियां खण्ड स्तरीय समितियों को सौंप दी गयी हैं।

मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकार का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980

मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों पर या उनके पार्श्वस्थ निवासगृहों और स्थलों के बारे में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने हेतु मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अध्यादेश 1980 (क्रमांक 10 सन् 1980) राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था। इस अध्यादेश को जारी करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि अपने खेतों में कृषि कार्यों को सुचारु बनाने की दृष्टि से भूमिस्वामी अपने खेतों में काम करने के लिए लगाए गए कृषि श्रमिकों को सामान्यतः इस बात की इजाजत दे देते थे कि वे अपने मकान उनके (भूमिस्वामी) खेतों में ही बना लें। इस प्रथा का दुष्परिणाम यह हुआ कि भूमिस्वामी अपने लाभ के लिए कृषि श्रमिकों का शोषण करने में समर्थ हो गए और कृषि श्रमिकों द्वारा काम करने से इंकार किए जाने की दशा में उन्हें बेदखल कर देने की धमकी के बल पर भूमि स्वामियों ने कृषि श्रमिकों को एक प्रकार से बंधुआ बना लिया। वे श्रमिक, जिनके वास स्थान भूमि स्वामियों की कृषि भूमियों पर स्थित थे व्यावहारिक रूप से बन्धुआ श्रमिक ही हो गए। समय की यह मांग है कि उन भूमियों का, जिन पर वास स्थान स्थित है श्रमिक के पक्ष में बन्दोबस्त करके इस प्रथा को समाप्त किया जाए जिससे सतत। अनिश्चितता की इस स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके तथा उन भूमिहीन व्यक्तियों को जिनके वास स्थान अन्य भूमिस्वामियों की कृषि भूमियों पर स्थित हैं भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाएं।

यह अध्यादेश 29 जून 1980 से सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील हो गया। इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी वासी अधिकार का प्रदान किया जाना (अधिनियम 1980) क्रमांक 4 सन् 1980) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी कृषि भूमि या उसके पार्श्व में का कोई ऐसा वास स्थान जो 23 जून 1980 को किसी भूमिहीन व्यक्ति के दखल में है, उक्त तारीख को ऐसे भूमिहीन व्यक्ति में भूमिस्वामी अधिकारों में निहित हो गया समझा जाएगा बशर्ते वह वासस्थान उस तारीख के पूर्व एक या अधिक वर्षों तक उसके कब्जे में रहा हो। भूमिहीन व्यक्ति में वास स्थान के इस प्रकार निहित हो जाने पर उस क्षेत्र का, जो वास स्थान में समाविष्ट है, मूल भूमिस्वामी भूमिस्वामी नहीं रह जाएगा। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि वास स्थान में ऐसे भूमि स्वामी दखलकार को ऐसे वासस्थान या उसके भाग से विधि के समयक अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वासस्थान के उक्त दखलकार द्वारा आवेदन किए जाने पर बेदखली की तारीख से छह माह के भीतर, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में अधिकथित प्रक्रिया का यथासमय शीघ्र अनुसरण करके उसका कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा तथा प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972

आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने और उस आवश्यकता की पूर्ति

करने हेतु उपाय करने के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण मंडलों के गठन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 अधिनियमित किया गया है। कुछ वर्षों से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यथोचित आवास की व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यकता है। और इसी कारण से उसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार तथा योजना-आयोग ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि ग्रामीण गृह निर्माण क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से संप्रवर्तित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक संगठन स्थापित किया जाए। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अध्यादेश 1982 (क्रमांक 4 सन् 1982) द्वारा उपरिलिखित अधिनियम को संशोधित किया गया है, जिससे ग्रामीण गृह निर्माण क्रियाकलापों को हाथ में लेने के प्रयोजनार्थ एक मंडल की स्थापना की जा सके। इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल संशोधन अधिनियम 1982 (क्रमांक 25 सन् 1982) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास मंडल की स्थापना, उसके गठन एवं कृत्यों एवं उत्तरदायित्व के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 4-क में मंडल की स्थापना के संबंध में प्रावधान किए गए है। यह मंडल नियमित निकाय होगा, इसको शाश्वत उत्तर का अधिकार होगा, उसे सम्पति अर्जित करने, धारण करने, तथा व्यय करने का अधिकार होगा। मंडल को संविदा करने तथा वाद चलाने की शक्ति प्राप्त होगी।

धारा 4-ख में यह प्रावधान है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास मंडल में निम्नांकित सदस्य होंगे :—

1-राज्य शासन के आवास, वित्त, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव।

2- अध्यक्ष, आवास एवं नगर विकास निगम दिल्ली (हुडको) नई दिल्ली।

3- संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग।

4- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा।

5- वास्तुकला संबंधी, नगर निवेश या आदिम जाति के क्षेत्र के विशेषज्ञ।

6- दो अशासकीय सदस्य एवं

7- आयुक्त, ग्रामीण आवास मंडल।

धारा 4-ग के अनुसार मंडल द्वारा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना कार्यान्वित करने की दृष्टि से किया जाएगा तथा मंडल इन कृत्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

भूमि के निवेश तथा विकास के लिए उपबंध करने, विशेषत: नगर तथा साधारणत: ग्राम निवेश स्कीमों को उचित रीति से बनाने एवं उनका निष्पादन प्रभावी बनाने तथा ग्राम विकास योजना का उचित ढंग से कार्यान्वयन करने एवं अन्य विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 को अधिनियमित किया गया है।

कुछ सुझाव

गत वर्षों में भूखंड आवंटन में अपने राज्य को सर्वोत्कृष्ट सफलता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने में संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। किन्तु इससे समस्या का आंशिक समाधान ही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में लाखों परिवार अभी भी बेघरबार हैं जिन्हें भूखंड तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। प्रदेश में बेघरबार व्यक्तियों का सर्वेक्षण वर्ष 1972 के पश्चात नहीं हो सका है। विशाल स्तर पर सर्वेक्षण कराने में व्यय एवं समय की सीमाएं उत्पन्न होंगी। अत: यह उपयुक्त होगा कि खंड स्तरीय समितियों के सदस्य ही बेघरबार लोगों से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर उन्हें भूखंड एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु तन, मन से प्रयत्नशील हों।

एकीकृत प्रबंध

वर्तमान में राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित विकास का कार्य ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। ग्रामीण आवास का कार्य आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के ग्रामों में दखल रहित भूमि विशेष उपबंध) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकर (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 का प्रशासन राजस्व विभाग को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास मंडल का प्रशासकीय विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग है। इससे स्पष्ट होगा कि ग्रामीण आवास का प्रशासन एवं प्रबंध विभिन्न विभागों में बंटा हुआ है इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामीण आवास संबंधी कार्य समन्वित एवं प्रभावकारी ढंग से नहीं हो पाता है। आज के युग में समन्वय की अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। अत: यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि ऊपरलिखित विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा ग्रामीण आवास से संबंधित सभी कार्य ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दिया जाए।

भू-अर्जन हेतु संक्षिप्त, सरल एवं त्वरित प्रक्रिया

आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त शासकीय भूमि की उपलब्धि कठिन होती जा रही है। अत: समुचित निजी भूमि का अर्जन ही एक विकल्प है। लैन्ड एक्वीजीसन एक्ट 1984 के अन्तर्गत निजी भूमि के अर्जन में अत्यधिक विलम्ब तथा अन्य अनेक कठिनाइयां होती हैं। यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी हेतु भू-अर्जन की सरल, संक्षिप्त तथा त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए। यह प्रावधान मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता 1959 में ही मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास, अधिनियम 1960 में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। भू-अर्जन शक्तियां अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंपी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में भू-अर्जन की अधिसूचनाओं

का मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक नहीं होना चाहिए । इन अधिसूचनाओं का तहसील एवं ग्राम पंचायत के पटल पर एवं संबंधित ग्राम में प्रकाशन पर्याप्त होना चाहिए । इसकी सूचना संबंधित भूमि स्वामी, भूधारी तथा कब्जेदार को अवश्य दी जानी चाहिए । प्रथम अधिसूचना में ही संबंधित भूमि के विस्तृत विवरण, खसरा नम्बर, क्षेत्र आदि अंकित किए जाने चाहिए ।

दखलकार-कृषि श्रमिक को अधिकारपत्र

मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 के प्रावधान भूमि स्वामी के प्रति अधिक कठोर तथा दखलकार के प्रति कम व्यावहारिक प्रतीत होते हैं । कभी-कभी भूमि स्वामी की भूमि के बीचों-बीच कृषि श्रमिकों द्वारा आवासगृह बनाए जाते हैं । भूमि स्वामी की भूमि के केन्द्र में स्थित कुछ भूमि कृषि श्रमिक को भूमि स्वामी अधिकारों पर दे देने से मूल भूमि स्वामी को सदैव के लिए कठिनाई हो जाएगी तथा भूमि स्वामी एवं कृषि श्रमिक के बीच सदैव तनाव बना रहेगा । अतः इस अधिनियम में मूल भूमि स्वामी को यह विकल्प उपलब्ध कराना उपयुक्त होगा कि यदि वह चाहे तो कृषि श्रमिक को अन्य वैकल्पिक स्थान आवासगृह हेतु उपलब्ध करा सकता है तथा यह अन्य वैकल्पिक स्थान कृषि श्रमिक को भूमि स्वामी अधिकारों के साथ प्रदत्त हो जाएगा ।

इस अधिनियम में दखलकार कृषि श्रमिक को भूमि स्वामी अधिकार स्वयमेव प्राप्त हो जाने की धारणा की गई है । इस प्रकार की भूमि का अधिकार पत्र व दखल कृषि श्रमिक को प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए । अधिकार पत्र प्रदान करने का कार्य भी खंड-स्तरीय समितियों को सौंपा जा सकता है । इन समितियों द्वारा एक अभियान चलाकर निश्चित अवधि में ऐसे अधिकार पत्र आबंटित किए जाने चाहिएं । □

सहायक विकास आयुक्त
इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

विकलांगों के लिए कैम्प

हाल ही में महाराष्ट्र में शेगांव में विशेषज्ञ डाक्टरों के एक दल ने एक हजार से भी अधिक विकलांगों की पुनर्वास चिकित्सा की ।

इस पुनर्वास कैम्प का आयोजन अखिल भारतीय शारीरिक औषध एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई ने शेगांव की एक समाजसेवी संस्था, गजानन महाराज संस्थान के साथ मिलकर किया ।

इस शिविर में आने वाले 1000 व्यक्ति से 530 पोलियो से ग्रस्त थे । उनका परीक्षण करने वाले चिकित्सकों ने यह राय जाहिर की कि यदि इन लोगों को बचपन में पोलियो निरोधक टीका लगा दिया जाता तो इनमें से अधिकांश व्यक्ति कभी भी पोलियो के शिकार न होते ।

अधिकतर रोगी अत्यन्त गरीब थे । सरल युक्तियों तथा सरल इलाज से इनकी सहायता की जा सकती थी, लेकिन कई मामलों में नितांत अज्ञानता के कारण ये लोग विकलांगता के चंगुल में फंस गए । टूटी हुई टांग वाला एक व्यक्ति केवल इसलिए अपंग हो गया कि टांग टूटने के तत्काल बाद ही उसकी टांग ठीक रूप से बैठाई नहीं गई । एक अन्य व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग केवल इसलिए हो गया क्योंकि जब वह पोलियो से ग्रस्त हुआ तो उसका उचित इलाज नहीं हुआ ।

तीस साल का एक व्यक्ति हाथ पांव घसीटते हुए कैम्प में आया । विशेषज्ञ द्वारा मालिश, कुछ दवाइयों तथा मुफ्त प्रदान की गई बैसाखियों के बल पर वह कैम्प से वापिस चलकर जाने में समर्थ हो गया ।

इन रोगियों में से 120 ऐसे थे जो दुर्घटनाओं के शिकार हो कर अपने शरीर के विभिन्न अंग गंवा बैठे थे । कम दरों पर कृत्रिम अंग प्रदान करके इनमें से अधिकांश की सहायता करना संभव हो सका । इन मामलों में आवश्यक ऐसे कृत्रिम अंग गजानन ट्रस्ट ने मुफ्त प्रदान किए ।

इस शिविर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इन विकलांगों के दिलों में आत्मविश्वास का उद्भव । डाक्टरों ने प्रत्येक रोगी पर आधे-आधे घंटे का समय लगाया । इस अवधि में चिकित्सक इनके दिलों में छाई निराशा तथा निरन्तर बढ़ती हीन भावना को निकालने में सफल हो गए । इस शिविर में आने से पहले इन लोगों के मन में हीन भावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था । ये लोग बड़ी आशा से कैम्प में आए और चिकित्सकों ने इनकी आशा को विश्वास में बदल दिया । □

आँखों की उचित देखभाल*

स्वस्थ और सुन्दर आंखें सौंदर्य को चौगुना कर देती हैं, उन्हें आकर्षक और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छी तरह देख-रेख जरूरी है थोड़ी-सी मेहनत और सावधानी बरतने पर इनकी देखभाल की जा सकती है।

आंखें न रहें या उनमें किसी प्रकार का दोष आ जाए तो जीवन अंधकारमय हो जाता है, कहावत भी है "आंख है तो जहान है"। वैसे तो शरीर के प्रत्येक अंग की देखभाल करनी चाहिए। किन्तु आंखों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए—

- ०—आंखों की प्रकृति ठंडक पसंद है अतः प्रातःकाल उठते ही आंखों को अच्छी तरह छपके मारकर धोना चाहिए।
- ०—रात को सोने से पूर्व भी आंखों को धो लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से व शीतकाल में गुनगुने पानी से धोना चाहिए।
- ०—पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि न तो रोशनी अत्यधिक ही हो न ही मंद। पढ़ते समय यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि लगातार पढ़ते समय बीच-बीच में आंखों को कुछ देर आराम देना चाहिए।
- ०—आंखों में चिकनाई रहना आवश्यक है अतः सप्ताह में एक या दो बार काजल या सुरमा लगाना चाहिए। अलग-अलग व्यक्तियों के लिए सुरमा डालने के लिए अलग-अलग सलाई इस्तेमाल में लेनी चाहिए।
- ०—आंखों को धूप, धूल व धुंएं से बचाना चाहिए। आंखों को गन्दे तौलिये व रुमाल से भी नहीं पोंछना चाहिए, रोगी आंखों का रुमाल निरोग आंखों पर नहीं लगाना चाहिए।
- ०—आंखों में लाली, खुजली व जलन होने पर डाक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
- ०—आंखों में कमजोरी हो तो आंखों को त्रिफला के पानी से धोना चाहिए। त्रिफला का सेवन करने से भी आंखों की बीमारियां दूर हो जाती हैं।
- ०—भोजन में विटामिन ए की कमी न आने दें अर्थात् हरी साग-सब्जी व फलों को प्रयोग में लेना चाहिए।

विटमिन ए की कमी के कारण बच्चे तथा युवक अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन ए की कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग 15000 बच्चे अंधे हो जाते हैं। इस विटामिन की कमी का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा होता है अतः हमें चाहिए कि हम बच्चों को खुराक में विटामिन ए से युक्त खाद्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करें।

सब्जियां विटामिनों से भरपूर होती हैं, अतः भोजन में पर्याप्त हरी सब्जियों को स्थान देना चाहिए। विशेषज्ञों की मान्यता है कि 100 ग्राम पत्ते वाली सब्जियां तथा एक या दो गाजर नियमित रूप से खाने पर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। □

आभा जैन

*

गुणों से भरपूर—गाजर

गाजर सर्दियों की महत्वपूर्ण सब्जी है, इसमें गुणों की भरमार है, इसे कच्चे तथा पका कर दोनों प्रकार से खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गाजर का हलवा, अचार, मुरब्बा आदि भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है। इसमें औषधीय गुण भी बहुत हैं। नारंगी रंग की गाजर से केराटीन थाइमिन और राइबोफ्लोविन काफी मात्रा में होते हैं। 100 ग्राम गाजर में निम्न पोषक तत्व होते हैं :—

खनिज	1—1 ग्राम
प्रोटीन	0—1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट	10—6 ग्राम
लोहा	2—2 मिलीग्राम
विटामिन सी	3 मिलीग्राम
चूना	80 मिलीग्राम
मैगनिशियम	14 मिलीग्राम
फासफोरस	30 मिलीग्राम
विटामिन ए	3150 आई० यू०

गाजर खाइए और सबल समर्थ बनिए, दुर्बल क्षीण शरीर को मोटा ताजा और तेजस्वी बनाने के लिए गाजर सर्वोत्तम सस्ता स्वादिष्ट फलाहार है। गाजर का यदि नित्य सेवन किया जाए तो इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आंखें स्वच्छ तथा स्वस्थ रहती हैं। इसमें विटामिन 'ए' की बहुलता होती है जिसके कारण रतौंधी रोग नहीं होता है।

जिन व्यक्तियों के शरीर में खनिजों की कमी है उनके लिए यह एक बहुत अच्छा टानिक है। गाजर आंतों की सड़न व गन्दगी को दूर करती है, अतः अतिसार एवं आंव में इसका सेवन लाभकारी है। इसका इस्तेमाल मूत्रावरोध में भी करते हैं। गाजर का रस खून को बढ़ाने के साथ-साथ शरीर की सभी क्रियाओं को सामान्य करता है। यह अल्सर को भी दूर करती है। इसमें लोहे की मात्रा पर्याप्त होने से यह खून को लालिमा प्रदान करती है, एनीमिया के रोगियों को एक गिलास गाजर का रस पूरे मौसम में लेना चाहिए इससे अभूतपूर्व लाभ मिलेगा।

फ्रांस की महिलाएं अपनी त्वचा को निखारने के लिए इसका खूब प्रयोग करती हैं। जर्मनी में सुखाई गई गाजर काफी प्रसिद्ध है। गाजर के छोटे-छोटे टुकड़े करके सुखा लिए जाते हैं। इनको दूध तथा चीनी के साथ उबालकर काफी बनायी जाती है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। □

केन्द्र के समाचार

मेथी उगाएं स्वास्थ्य बढ़ाएं

मेथी एक ऐसी हरी सब्जी है जिसमें वसा, फास्फोरस, सोडियम, कापर, थाईमिन, प्रोटीन, लोहा, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट्स आदि कई खनिज व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभदायक सब्जी है। मेथी ठण्डे मौसम की सब्जी है। मेथी बोने के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर 100 क्विंटल गोबर की खाद और 32 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हैक्टेयर देने के बाद 25–30 किलो बीज प्रति हैक्टेयर में छिड़क दें। पहली सिंचाई बोने के तुरन्त बाद करनी चाहिए। इसके बाद 7 से 10 दिन के अन्तर पर आठ से दस बार सिंचाई करें। मेथी को बोने के बीस दिन बाद ही काटा जा सकता है। इसके बाद 12–15 दिन के अन्तर से पुनः कटाई की जा सकती है। देशी मेथी की उपज 70–80 क्विंटल तथा कसूरी मेथी की उपज 90–100 क्विंटल प्रति हैक्टेयर ली जा सकती है।

आंखों के रोगों से बचिए

आंखें मनुष्य के शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। ये बहुत कोमल होती हैं। कुछ सामान्य कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न हो सकते हैं। गांवों में प्रायः किसान अधिक गर्मी में कार्य करने के बाद एकाएक शीतल जल में स्नान करते हैं, जो कि आंखों के लिए हानिकारक है। अधिक धूल और धूप में अधिक समय तक रहने और रात्रि में तरल द्रव्यों के सेवन करने से भी आंखों में कमजोरी आ जाती है। निरन्तर रोना, सिर की चोट और अधिक मद्यपान से नेत्र-ज्योति कमजोर हो जाती है। आंखों को प्रतिदिन शीतल जल से धोना चाहिए। तम्बाकू, भांग आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर तथा आंखों की धूप से रक्षा करनी चाहिए।

लाभकारी कुटीर उद्योग-मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी पालन एक आसान तथा कम खर्चीला कुटीर उद्योग है। यह कुटीर उद्योग केवल 200 रु० की लागत से शुरू किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के लिए केवल एक छोटे बाग की जरूरत होती है। बाग में लकड़ी की पेटियां रखकर प्रत्येक पेटी से साल भर में 8 या 9 किलोग्राम शहद इकट्ठा किया जा सकता है। मधुमक्खियां एक छोटी, लकड़ी की बनी, पेटी में पाली जाती हैं जो कि बगीचे की थोड़ी-सी जगह घेरती है। मधुमक्खियां बाग तथा उसके आसपास के क्षेत्र में लगे हुए फलों और फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद बनाती हैं। मधुमक्खी पालने वाले को कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है और न ही अधिक समय देना पड़ता है। दो से पांच पेटियों की देख-भाल के लिए आधा घण्टा प्रति सप्ताह काफी है। मधुमक्खियों का छत्ता शहद से भर जाने पर मशीन से शहद निकाल कर वापस रख दिया जाता है। यदि एक व्यक्ति के पास 50 से अधिक मधु-घर हैं तो वह प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक की आमदनी ले सकता है। □

नारियल रेशे के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नारियल रेशे से चटाई, कालीन, रस्सी तथा अन्य सजावट का सामान बनाना एक लोकप्रिय कुटीर उद्योग है। नारियल के रेशे से बनी ये वस्तुएं देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। अतः इन चीजों के उत्पादों से घर बैठे ही अच्छी आय ली जा सकती है। देश में नारियल रेशे के उत्पादों का निर्यात मूल्य अब 7 करोड़ 65 लाख 95 हजार रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। केन्द्र सरकार इन वस्तुओं के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रबन्ध कर रही है। इसके अन्तर्गत इस उद्योग में लगे हुए लोगों को नगदी प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही नारियल रेशा उत्पादों को तैयार करने वाले श्रमिकों के कल्याण कार्यों की देखभाल के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक विशेष कक्षा की स्थापना की गई है।

ग्रामीण औद्योगीकरण संगोष्ठी

ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 21 से 22 अक्तूबर, 1984 तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। योजना आयोग द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में औद्योगिक नीतियों, बुनियादी सुविधाओं तथा वर्तमान समय में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर 40 निबंध प्रस्तुत किए गए। इस संगोष्ठी में राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों तथा सरकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही प्रोत्साहन एजेंसियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

मत्स्य उद्योग के लिए मिनिकिट मुफ्त

मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों द्वारा गहन मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाए गए तालाबों और पोखरों में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुफ्त मिनिकिट वितरित करने का एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। मत्स्य विकास एजेंसियां 147 जिलों में कार्यरत हैं। ऐसी प्रत्येक मत्स्य कृषक विकास एजेंसी को 10 हैक्टेयर के जल क्षेत्र के लिए मिनिकिटों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। इन मिनिकिटों में मछली का बीज, उर्वरक तथा मछलियों का भोजन शामिल है। इस पर प्रति हैक्टेयर लागत 2000 रु० आएगी। इन मिनिकिटों के मुफ्त वितरण से प्रत्येक मत्स्य कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत एक हैक्टेयर तक जल क्षेत्र वाले कमजोर वर्ग के 10 से 15 किसानों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू मछली बीज भंडारण मौसम में मछली पालन से उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 1,470

हैक्टेयर जल क्षेत्र को शामिल किए जाने का अनुमान है। मिनिकिटों के वितरण पर आने वाली लगभग 29 लाख रुपये की लागत को केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी।

मिजोरम में तीन सूत्रों में लक्ष्यों से अधिक कार्य

मिजोरम में वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित वृक्षारोपण, गोबर गैस संयंत्र लगाने तथा विद्यालयों में बच्चों को भर्ती करने सम्बन्धी लक्ष्य जुलाई 1984 में ही पार कर लिए गए हैं, अर्थात् निर्धारित समय से आठ महीने पहले ही।

जुलाई माह तक साढ़े तीन करोड़ वृक्षों का रोपण किया जा चुका था। यह समूचे वर्ष भर का लक्ष्य था। समूचे वर्ष के लिए बच्चों को विद्यालयों में दाखिल करने का लक्ष्य था 2000 जबकि 2,020 बच्चे दाखिल किए गए। जुलाई माह तक ही 18 गोबर गैस संयंत्र लगाए जा चुके थे जबकि लक्ष्य केवल 10 संयंत्र लगाने का ही था। इस प्रकार केवल जुलाई माह में ही पूरे वर्ष भर के लक्ष्यों को पार कर लिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा ग्रामीण भूमि-हीन-रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग आठ करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए। जुलाई तक 20 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा सात समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया।

बायोगैस संयंत्र का चमत्कार

श्री एम० के० शर्मा

श्री हरिहर सिंह ग्राम ढेका के निवासी हैं। यह गांव प्रतापगढ़ से 10 कि० मी० की दूरी पर सई नदी के पश्चिम में स्थित है। श्री सिंह के परिवार में 20 सदस्य हैं तथा इनके पास 13 जानवर हैं। 60 एकड़ भूमि है जो संयुक्त परिवार की है। खेती ट्रैक्टर द्वारा होती है। सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। इतने बड़े परिवार के भोजन बनाने के लिए ईंधन की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। समय पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ताजा भोजन मिलना कठिन हो गया था। इसी परिस्थिति में श्री सिंह के लिए ऊर्जा का विकल्प एक समस्या बन गई थी।

सौभाग्य से प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़ में वर्ष 1982 में दिनांक 20-6-1982 से 10-7-1982 तक जनता बायोगैस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण में राजगीरी का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए जनता बायोगैस निर्माण हेतु कृषकों का चयन, खण्ड विकास अधिकारी सदर से सम्पर्क करके, किया गया। इसी क्रम में श्री सिंह का चयन श्री राम प्रकाश मिश्र, ग्राम विकास अधिकारी के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रदर्शक श्री प्रभाकर मिश्र ने सम्पर्क स्थापित करके किया। और बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए उन्हें तैयार किया। संयंत्र निर्माण के लिए विकासखण्ड से 40 बोरी सीमेन्ट का परमिट उन्हें दिया गया। ईंट तथा अन्य व्यय नकद मूल्य पर श्री सिंह द्वारा किया गया।

6 घनमीटर का जनता बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए गड्ढे की खुदाई की गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मिस्त्रियों द्वारा, श्री लाल बहादुर मास्टर मैकेनिक की देख-रेख में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ जो 20 दिन में पूरा हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मिस्त्रियों से जुड़ाई कराने में श्री सिंह को राजगीरी का व्यय भी वहन नहीं करना पड़ा। संयंत्र तैयार हो जाने के बाद श्री सिंह ने अपने गांव तथा आस-पास के कृषकों के यहां से गोबर एकत्रित करके और उसे घोलकर संयंत्र चालू किया।

एक हफ्ते बाद संयंत्र से गैस निकलना प्रारम्भ हुआ। श्री सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गैस के स्टोव पर उन्होंने चाय बनवाकर अपने शुभचिन्तकों को पिलाई। प्रेशरकुकर पर भोजन बनाने का कार्य भी शुरू हुआ। श्री सिंह की अम्मा ने जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष है, इस चूल्हे के बने भोजन को अपवित्र समझकर ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। उनके लिए अलग से भोजन बनाया जाता रहा। कुछ समय बाद जब उन्हें समझाया गया कि गोबर के उपले पर बना हुआ भोजन खाने में जैसा स्वादिष्ट और पवित्र होता है वैसा ही इस संयंत्र पर बना हुआ भोजन भी होता है। इस संयंत्र में गोबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं डाला गया है। बहुत कहने सुनने के बाद उनके विचारों में परिवर्तन हुआ और परिवार के आग्रह पर उन्होंने संयंत्र पर बने भोजन का प्रयोग किया। श्री सिंह के यहां मेहमानों के आ जाने पर भोजन बनाने तथा रात में प्रकाश की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं रह गई है।

इस पिछड़े क्षेत्र में इस संयंत्र के लग जाने से अन्य कृषक भी प्रोत्साहित हुए और आसपास के गांवों में भी जनता बायोगैस संयंत्र लगाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। फलस्वरूप बगल के गांव पुरेमाधव सिंह में 8 जनता बायोगैस संयंत्र लगाए गए। श्री सिंह के पड़ौसी ने जब संयंत्र की सफलता देखी तो उन्होंने भी एक बायोगैस संयंत्र लगवा लिया। प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण के दौरान अब तक 20 बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं जो सभी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इस कार्य को तीव्र गति देने में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़ सतत प्रयत्नशील है।

विज्ञान की रोशनी से मिट रहा है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता से सम्भव हुआ जिसके लिए बैंक राष्ट्रीयकरण से बहुत मदद मिली।

मां जिस तरह अपने पुत्र-पुत्री दोनों को ही समुन्नत देखना चाहती है और उसी उद्देश्य से वह संचालित होती है, ठीक उसी तरह उन्होंने भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ माता की भूमिका निभाई। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के उपयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, निजी क्षेत्र के विकास और अनाज के व्यापार संबंधी ऐसी नीतियां बनाईं कि देश के हर वर्ग को ही लाभ मिला। कहीं से लेकर कहीं कुछ दिया तो ऐसा कि जो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के ही हित में रहा और देश और समाज खुशहाल हुआ।

श्रीमती गांधी दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्तित्वों में से एक थीं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उन्होंने अपंगों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाने का सुझाव दिया था जो अब चल रहा है। वे सच्चे अर्थों में एक विश्व नागरिक थीं। धर्मनिर्पेक्षता के माध्यम से उन्होंने देश की एकता को मजबूत किया और गुटनिर्पेक्षता के माध्यम से ब्लाकों में विभक्त विश्व की महाशक्तियों को एक दूसरे के अधिकाधिक निकट लाने और न्याय पर आधारित नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने सभी देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया किन्तु अन्याय के खिलाफ भी अपनी आवाज को सदा बुलन्द किया।

ऐसे मस्तिष्क से हमें वंचित किया जाना, वह भी स्वयं उनके ही गार्डों की धुआंधार गोलियों की वर्षा द्वारा, कितना अमानुषिक है यह। यह उस धर्म को कलंकित करने का भी प्रयास था जिसके प्रवर्तक मानव मात्र के कल्याण हित जिए और मरे। ये भारत के ममत्व, भ्रातित्व और बंधुता पर प्रहार था। इसका उद्देश्य भारत की आत्मा को कलुषित करना, उसके मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर साम्प्रदायिकता की अग्नि जगाकर वीर भाइयों के आपसी संहार द्वारा मानो देश की भुजाओं को तोड़ने और अब तक की सारी प्रगति को मिट्टी में मिला देने का षड़यंत्र था।

भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने में जितना हाथ षड़यंत्रकारी घिनौनी साम्प्रदायिकता का रहा है इतना साधनों की कम उपलब्धता का नहीं। इस बात को भारत तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ही निवासी नहीं बल्कि सारे विश्ववासी समझते हैं। जब-जब देश के लिए किसी क्षेत्र में महान सफलता के लिए श्रेष्ठतम अवसर सधकर आया है तब-तब साम्प्रदायिकता का विष हमारे राष्ट्रीय जीवन रूपी प्याले में घुला है, चाहे वह स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर रहा हो, आर्थिक उत्थान का या देश से गरीबी हटाने का अवसर।

हम सब विभिन्न धर्मावलम्बी भारतीयों को ग्रामीण हों या शहरी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत माता की प्रतिमूर्ति श्रीमती गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम षड़यंत्रकारी तत्वों को देश के अन्दर चिन्हित कर अलग-थलग करके क्षमा मांगने के लिए मजबूर कर दें। सभी धर्म हम सभी भारतीयों के हैं और सब विभिन्न धर्मावलंबियों का फर्ज है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सहयोग दे तथा मार्ग सुझाए। निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अलग-अलग धर्मावलंबी स्वधर्म में अंकुरित विकृत तत्वों को निकाल कर उन्हें वास्तविक धर्म का अनुसरण करने को बाध्य कर सकते हैं। और यदि ऐसे तत्व बाहरी हों तो उनकी कोई पेश न चलने दें।

जनता का यह फर्ज बनता है कि वह रोष का प्रदर्शन इस ढंग से करे कि जिससे निर्दोष लोगों की जान-माल की हानि न हो, अपराधियों का उल्लू सीधा न हो, समाजविरोधी तत्वों को शान्ति भंग करने तथा कानून और व्यवस्था तोड़ने का बहाना न मिल पाए और आपसी सौहार्द कुंठित न हो, समस्या के समाधान में योग मिले, हत्यारों के पक्षधर अलग-थलग पड़ जाएं तथा उन्हें दंडित किया जा सके। इसके लिए कोई स्थायी प्रक्रिया विकसित करने के लिए शासन तंत्र और जनता के बीच सतत तालमेल रखनी होगी। इसके लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों को जनता के घनिष्ठ सम्पर्क में कार्य करना होगा। समस्या से निपटने के लिए बनाए गए स्थायी संगठन सभी गांवों में हों। शहरों के हर मोहल्ले में हों। उनमें सभी सम्प्रदायों, वर्गों, सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रतिनिधि हों, जो राष्ट्रीय स्तर तक समन्वय के सूत्र में पिरोए गए हों। □

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन)98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/70
P & T Regd. No. D (DN
Licenced under U (DN)
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, D

पवनचक्की और बैंक

निरुती काटकडे को अपनी कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए एक पवन चक्की की जरूरत थी।

उसका खेत केवल तीन एकड़ क्षेत्रफल का है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के नाई गांव में जोतें बहुत बड़ी नहीं हैं।

काटकडे के गांव में अभी तक बिजली न पहुंचने के कारण उसे अपने खेत की सिंचाई के लिए डीजल पम्प पर निर्भर रहना पड़ता था। डीजल पम्प से खेत की सिंचाई के लिए लम्बी कतारें लगती थीं और आम तौर पर उसे समय पर पानी नहीं मिल पाता था। पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र के किसानों की फसलें आम तौर पर सूख जाती थीं। डीजल पम्प उपलब्ध होने पर उन्हें पता लगा कि वह बहुत महंगा पड़ता है।

काटकडे के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि 1983 में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे एक छोटे किसान की श्रेणी में रखा गया और इस नाते उसे कुएं से खेती की सिंचाई के लिए पवन-चक्की स्थापित करने और एक टंकी का निर्माण करने के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा द्वारा 6000 रुपये का ऋण देने की पेशकश की गई। उसने इस पेशकश को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया।

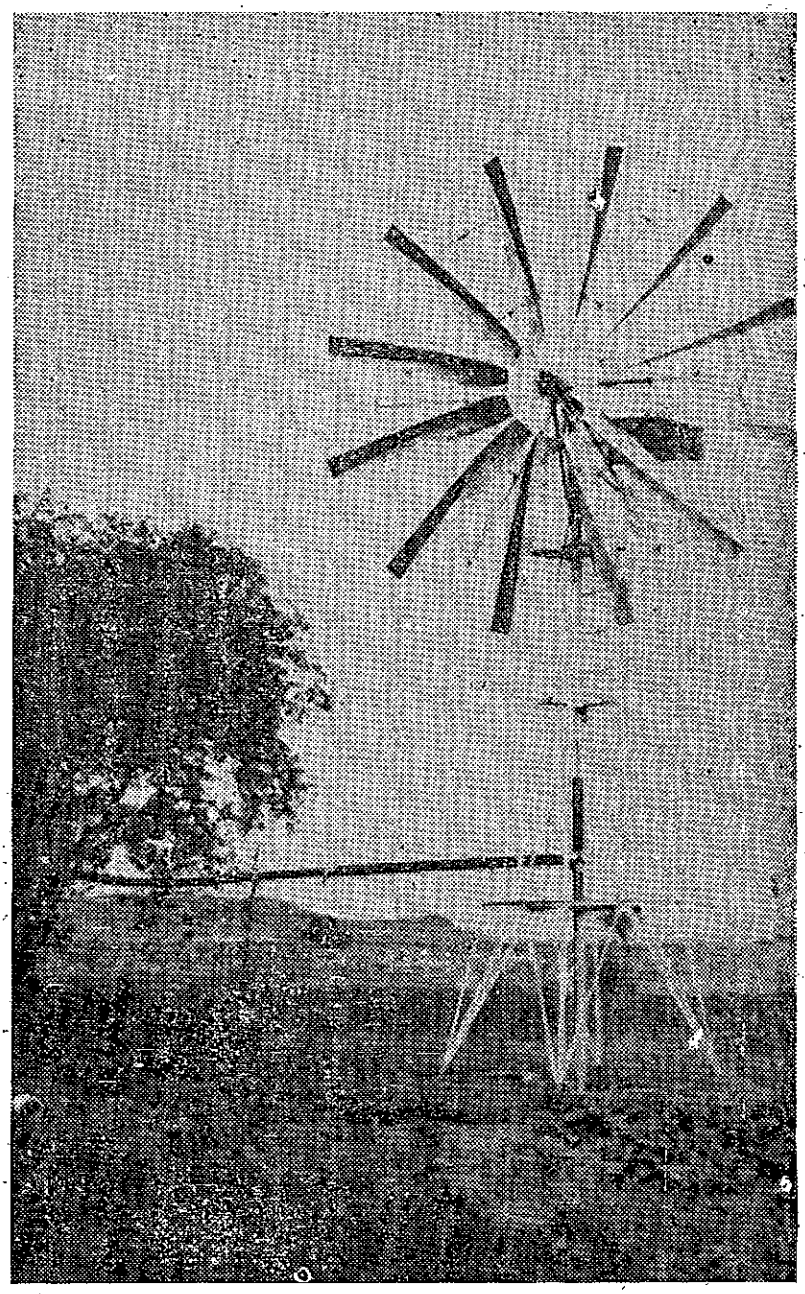

नाई गांव में पवन चक्की

शीघ्र ही पवन चक्की और पानी की टंकी बन कर तैयार हो गई। पवन चक्की के रख-रखाव और मरम्मत के लिए उसे प्रशिक्षण दिया गया।

अब उसे पानी की कमी, डीजल की ऊंची लागत और ऐसी अन्य समस्या की चिन्ता नहीं है। उसे अब अच्छी फसलें प्राप्त होने लगी हैं और ऋण अदायगी को नियमित करने की कोशिश की जा रही है। □

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।